राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा–परीक्षित लेखे

2018–19

प्राक्कथन

वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन. सी. एफ.) ने अपनी चालू परियोजनाओं के पुनर्निर्माण और सशक्तिकरण पर अपने जोर को सतत् जारी रखा और उनको पूरा करने का प्रयास किया है।

न केवल इसने अपने नये भागीदार बनाये हैं बल्कि समग्र रूप से मौजूदा भागीदारी को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाया है।

भारत की संपन्न संस्कृति एवं विरासत को परिरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने के प्रति जागरूकता और आवश्यकता के कारण एन. सी. एफ. के कार्यकलाप एवं कार्य वर्ष–दर–वर्ष बढ़े हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में विरासत को परिरक्षित करने और संरक्षित करने में वर्ष 2018–19 में एन सी एफ द्वारा मुख्य
भूमिका निभाने के सतत प्रसास को रिकार्ड किया गया है। सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और सिविल सोसायटी के लिए ब्राण्ड छवि बनने हेतु एन सी एफ ने जिम्मेवारी और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित की है।

विरासत संरक्षण और कला एवं संस्कृति के विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा एन सी एफ आगामी वर्षों में उक्त क्षेत्र के लिए विकास करना और सकारात्मक योगदान देना जारी रखेगा।

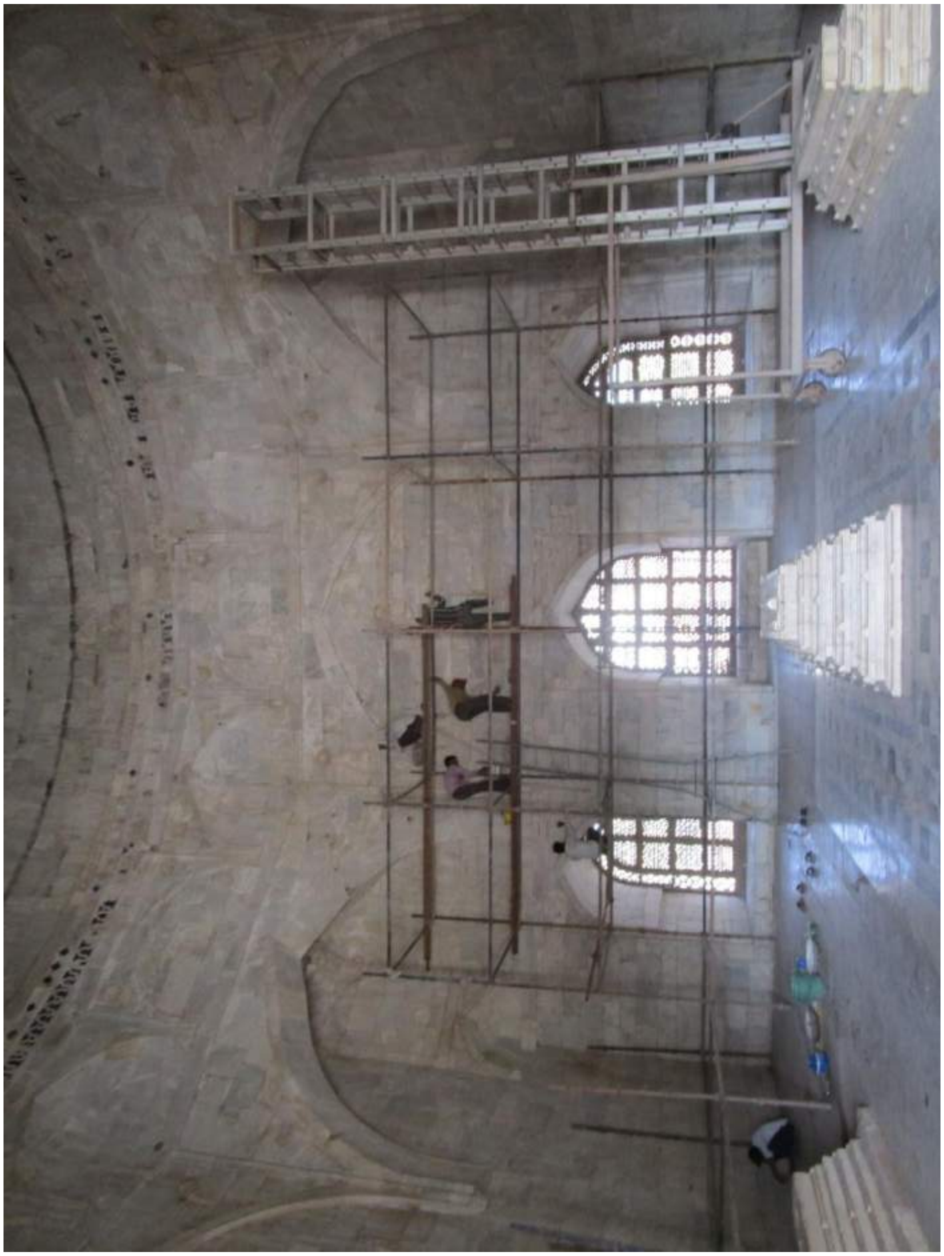

विषय – सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय	6
2.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि का उद्देश्य	8
3.	प्रबंधन एवं प्रशासन	9
4.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना	9-10
5.	2018–19 की मुख्य विशेषताएं	11
	(i) 2018–19 में पूर्णपरियोजनाएं	11
	(ii) 2018–19 में नई पहलें	18
6.	जारी परियोजनाएं	18
7.	लेखा परीक्षित लेखे का विवरण	54-79

❖ राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना दिनांक 28 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित गजट अधिसूचना के माध्यम से धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत न्यास के रूप में भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा की गई थी।

एन सी एफ की परिकल्पना संस्कृति से संबंधित प्रयासों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बनाकर लोगों का बौद्धिक एवं वित्तीय, दोनों समर्थन प्राप्त करने की व्यवस्था के रूप में की गई थी।

भारत की संस्कृति सबसे पुरानी एवं अद्वितीय संस्कृतियों में से एक है। भारत में एक विस्मयकारी सांस्कृतिक विविधता है, जिसका परिणाम अद्वितीय बहुलता – धर्म, भाषा, वास्तुकला, परम्परा एवं रीति–रिवाज की बहुलता है। इस भारतीयता को आने वाले समय में बिना बिखरे और बिना बाधा के खिलने के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित शब्दों में सांस्कृतिक अधिकार की गारंटी देता है –

''भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को इसको संरक्षित करने का अधिकार है।''

बिना किसी सांस्कृतिक नीति या सांस्कृतिक प्रबंधन के किसी संस्थान/विभाग के हम काम के विरासत को भावी पीढ़ी के लिए परिरक्षित नहीं कर सकते हैं।

आज दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत हमले और खतरे के अध्यधीन है, जिससे सांस्कृतिक विरासत की सततता चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसके कारण हैं – पर्यावरणीय क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक दबाव, शहरीकरण का बढ़ता चरण और वैश्विक पर्यटन के तनाव। वस्तुतः सही समय आ गया है कि हम अपने अतीत के परिरक्षण का काम करें।

सांस्कृतिक परिरक्षण के लिए सामाजिक मांग उपलब्ध सरकारी संसाधनों को पीछे छोड़ चुका है और अतः इसे सरकारी एजेंसियों का निजी एजेंसियों के साथ सक्रिय भागीदारी से पूरा किया जाना है।

यह अनुभव किया गया है कि संस्कृति पर खर्च व्यर्थ का खर्च नहीं है, वरन् मानव एवं सामाजिक विकास के लिए योगदान है। हमारे देश में भूतकालीन संस्कृति के वृहत् अवशेष को भारत में सांस्कृतिक वित्त पोषण के प्रतिमानों में उपयुक्त समायोजन एवं नवाचार द्वारा सर्वोत्तम तरीके से परिरक्षित किया जाना है। अतः कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेवारी और हमारे विरासत संसाधनों की सततता के बीच संयोजन का पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि देश का लक्ष्य अपने विरासत संसाधनों को बनाए रखने का प्रयास है, कारपोरेट क्षेत्र सतत् विरासत प्रबंधन और परिरक्षण की प्रक्रिया में एक भागीदार और प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा 28 नवम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के जरिए धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ) की स्थापना की गई थी। एन सी एफ सांस्कृतिक निधियन का एक नवाचारी प्रतिमान है, जो भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के प्रवर्धन एवं परिरक्षण में संस्थानों और व्यक्तियों को अपनी सही भूमिका निभाने में समर्थ बनाता है और विस्तृत सीमा तक समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक अपेक्षा को वित्तपोषित करता है।

सी एस आर के तहत् एन सी एफ के जरिए परियोजनाओं का निधियन इस बात की मान्यता देता है कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी केवल अनुपालन ही नहीं है, उन पहलों के समर्थन की प्रतिबद्धता है, जो प्रमुखतः राष्ट्रहित में पहलों को पर्याप्त रूप से सुधारता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी नीति) नियम, 2014 के तहत् यथा अधिसूचित अनेक फोकस क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण के लिए सी एस आर निधियन को सी एस आर नीति के निम्नलिखित खंड में कवर किया जा सकता है –

''ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों और कला वस्तुओं के परिरक्षण सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का रक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; परम्परागत कला शिल्प का संवर्धन एवं विकास।''

एन सी एफ के तहत् दानकर्त्ता के लिए मूर्त्त या अमूर्त्त परियोजना की पहचान करना और साथ ही वित्तपोषण के किसी विशिष्ट पहलू और परियोजना के निष्पादन के लिए एक एजेंसी का पहचान करना संभव है।

❖ एन सी एफ के साथ भागीदारी के लिए आगे आने वालों को निम्नलिखित सहित अनेक लाभ हैं :

1. राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (ii) के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट का पात्र है।
2. एन सी एफ दानकर्त्ताओं, एन सी एफ और पी आई सी की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना प्रबंधन में सुनम्यता प्रदान करता है।
3. परियोजना को एक संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) के माध्यम से क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है, जिसमें एन सी एफ और दानकर्त्ता का एक प्रतिनिधि हो।
4. प्रत्येक विकास स्थल पर पटि्का लगाने का प्रावधान किया गया है जो दानदाताओं, सहयोगकर्ताओं तथा भागीदारों के आभार को सुगम बनाता है।

एन सी एफ अपने संरक्षण के अंतर्गत अधिकृत कार्यकलापों के लिए भारतीय संसद और दानकर्ताओं के प्रति अंतर्निहित जिम्मेदारी में सम्मिलित है। व्यापक रूप में, एनसीएफ की परिकल्पना निगमित और सार्वजनिक क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी और सहभागिता में कार्य करने के लिए की गई है, जिससे वे मूर्त और अमूर्त संस्कृति और सांस्कृतिकअभिव्यक्ति केसंरक्षण, परिरक्षण और विकास के प्रति योगदान कर सकें।

इसके साथ–साथ एन सी एफ अंतर–विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने, नई वीथिकाओं एवं संग्रहालयों के सृजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों में कौशल वर्धन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने/आयोजन करने का प्रयास कर रहा है।

इन विविध पहलों, कार्यक्रमों और विचारों के जरिए एन सी एफ भारत की संपन्न सांस्कृतिक संपदा (मूर्त्त और अमूर्त्त दोनों) के परिरक्षण, संरक्षण और अनुरक्षण के विशेष संदर्भ के साथ विरासत जागरूकता को बढ़ाना और इसका नेतृत्व करना चाहता है।

❖ एन सी एफ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

i) संरक्षित स्मारकों या अन्य स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, रक्षण, उन्नयन एवं विकास के लिए निधियां जुटाना एवं उसका उपयोग करना।

ii) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन शुरू करना।

iii) सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में व्यावसायिकों एवं स्टाफ कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

iv) कलात्मक प्रयत्नों के सभी स्वरूपों, विशेषकर कलाओं में नवाचारी प्रयोगों को, संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना।

v) विद्यमान संग्रहालयों में अतिरिक्त जगह बनाना तथा नवीन एवं विशिष्ट वीथिकाएं सृजित करने या समाहित करने हेतु नए संग्रहालय का निर्माण करना।

vi) समाज के सांस्कृतिक विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, नगर–निकायों अथवा क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाना।

vii) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संवर्धन एवं परिरक्षण में संलग्न संगठनों, सरकारी या गैर–सरकारी संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराना।

viii) भारत एवं अन्य देशों के बीच अनुबंधित सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के दायरे में स्वदेशी विशेषज्ञता और मानव संसाधन तथा कार्यकलापों के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।

ix) विरासतों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं या किसी अन्य गतिविधि के लिए कम ब्याज पर, यहां तक कि ब्याज रहित ऋण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

❖ प्रबंधन एवं प्रशासन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रबंधन एक परिषद एवं कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है।

परिषद के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री हैं।

कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाती है।

परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या चौबीस की है, जिसमें अधिकतम उन्नीस प्रख्यात सदस्य निगमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठानों एवं गैर लाभकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।

प्रत्येक परियोजना का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) द्वारा किया जाता है जिसमें दानकर्ता/अंशदानकर्ता/सह प्रवर्तक/कार्यान्वयन एजेंसियों का यथोचित प्रतिनिधित्व है। परियोजना कार्यान्वयन समिति में एन सी एफ का प्रतिनिधित्व होता है और यथा आवश्यक नागरिक प्राधिकारी एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी होते हैं।

प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग संयुक्त बैंक खाता होता है, जो एन सी एफ के प्रतिनिधि तथा दानदाता/निधियन एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा परिचालित होता है।

प्रत्येक परियोजना के खाते का विवरण एन सी एफ के खाते में समन्वित होता है, जिसका वार्षिक आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।

❖ राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना

परिषद		
1	माननीय संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2	सचिव (संस्कृति)	सदस्य (पदेन)
3	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
4	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
5.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य सचिव (पदेन)
6	उप सचिव/निदेशक , संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
7.	श्री एस.एम. गर्ग	सदस्य
8.	श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य
9.	पद्म श्री डॉ. आर.एस. बिष्ट	सदस्य
10.	श्री दिवय गुप्ता	सदस्य
11.	सुश्री देविका	सदस्य
12.	डॉ. सव्यसाची मुखर्जी	सदस्य
13.	डॉ. भरत शर्मा	सदस्य
14.	श्रीमती ज्योत्स्ना सुरी	सदस्य

15.	श्री नकुल आनंद	सदस्य
16.	श्री दिलीप चेनोय	सदस्य
17.	श्री ओमवीर सिंह त्यागी	सदस्य
18.	श्रीमती किरण नदार	सदस्य
19.	श्री विशाल गोयल	सदस्य
20.	श्री पद्म कुमार जे.आर.	सदस्य
21.	श्री विपिन मल्हान	सदस्य
22.	श्री टी.एन. चौरसिया	सदस्य

कार्यकारी समिति

1	सचिव (संस्कृति)	अध्यक्ष (पदेन)
2	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
3	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
4	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य (पदेन)
5	उप सचिव/निदेशक , संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य सचिव (पदेन)
6.	श्री एस.एम. गर्ग	सदस्य
7.	श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य
8.	डॉ. भरत शर्मा	सदस्य
9.	श्री नकुल आनंद	सदस्य
10.	श्री दिलीप चेनोय	सदस्य

❖ 2018–19 की मुख्य विशेषताएं

➢ 2018–19 में पूर्ण परियोजनाएं

चार परियोजनाएं, जो वित्त वर्ष 2018–19 में पूर्ण हुई :

1. जैसलमेर किला, राजस्थान

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 13 अगस्त, 2003

वित्तपोषक / भागीदार : मै. विश्व स्मारक निधि

परियोजना विवरण : जैसलमेर किला का नवीकरण

जैसलमेरकिला, राजस्थान के संरक्षण के लिए 13 अगस्त, 2003 को एएसआई–डब्ल्यूएमएफ–एनसीएफ के बीच त्रिपक्षीय समझौताज्ञापनपरहस्ताक्षरकियागया।

जैसलमेरकिला का संरक्षणअत्यधिकसंकटापन्नकिले के पुनर्स्थापनहेतु 1:2 के लागत शेयरआधारपर यूएसडॉलर 500,000 के अनुदान के साथ 2003 में एएसआई के वित्तीय सहयोग से डब्ल्यूएमएफ द्वारा शुरू कियागया।इस परियोजना में एएसआई का अंशदान रु. 4 करोड़ है।अनेक अध्ययन, पहाड़ी की ओरआवाजाही की वैज्ञानिकनिगरानी, अवसंरचनाविकासआदिपूराकियाजाचुकाहै। इस परियोजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाचुकीहै।

2. ''पुराना किला'', नई दिल्ली का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 30.03.2017

वित्तपोषक/भागीदार : राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एन बी सी सी)/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : ''पुराना किला'' का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण

पुराना किला, नई दिल्ली में परियोजना के लिए ए एस आई – एन सी एफ – एन बी सी सी के बीच समझौता ज्ञापन पर 30.03.2017 को हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य स्मारक क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन, विकास, स्मारक एवं संग्रहालय का रखरखाव, स्मारकों की बेहतर प्रस्तुति एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विकास और पर्यटक से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का विकास और इसके परिप्रेक्ष्य सहित स्मारक और इसके आसपास के इतिहास, विरासत मूल्य को उजागर करना है।

एन बी सी सी ''पुराना किला, नई दिल्ली का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण'' की परियोजना के समर्थन के लिए सहमत है और इसके लिए 14.35 करोड़ रु. तक की निधि प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसे समझौता ज्ञापन के पक्षों के परस्पर निर्णय पर और अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पुराना किला, दिल्ली

3. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली का उन्नयन

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 30 अक्तूबर, 2014

वित्तपोषक/भागीदार : भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल)

परियोजनाविवरण : स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली का उन्नयन

लाल किला, दिल्ली

रु. 2 करोड़ के खर्च से ''स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली के उन्नयन के लिए ए एस आई – एन सी एफ – भेल के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 30.12.2014 को हस्ताक्षर किया गया है।

परियोजना का उद्देश्य दर्शक सुविधाएं, संग्रहालय दुकान, संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रमों सहित संग्रहालय अवसंरचना का उन्नयन और प्रदर्श, भंडार और संग्रहालय संकलन की प्रस्तुति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है।

स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का दर्शन इस संग्रहालय को वस्तुतः आदर्श राष्ट्रीय संग्रहालय बनाना है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को प्रदर्शित करे और इसे अलग से शीर्ष सांस्कृतिक स्थल बनाना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को कह सके। यह कल्पना की गई है कि संग्रहालय को पुनर्स्थापित और उन्नयन करने की यह पहल इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाएगा और इसके डिजाइन और कथन के जरिए आगंतुक को उसकी जानकारी देगा, जो आधुनिक भारतीय इतिहास में इसके स्थान को अंकित करेगा तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को ग्रहण करेगा जो स्वयंप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की आधारशिला के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

संग्रहालय लालकिला के ऐतिहासिक प्राकार के भीतर स्थापित है, जो न केवल एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है वरन् इसका इतिहास में मुग़लों के राजधानी के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थल ने 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और आज भी यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं।

संग्रहालय उन्नयन योजना के जरिए यह कल्पना की गई है कि इस स्थल का उपचार सावधानी से और संशोधित डिज़ाइन अनुभूति से की जाएगी जो वर्तमान संग्रहालय को उन्नत करने और नवीकृत करने हेतु और इसका उसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थिति के रूप में प्रसार करने और इसे दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के तुल्य बनाने के लिए इतिहास के प्रति संवेदनशीलता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए स्वस्थ सम्मान को संतुलित करे।

भेल ने आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन और परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए वित्तीय अंशदान के पहले किस्त के रूप में परियोजना खाते में केवल रु. 40 लाख जमा किया है। उपर्युक्त परियोजना के लिए डीपीआर की तैयारी का काम पूरा हो चुका है।

4.भारतीय संग्रहालय कोष – इलाहाबाद संग्रहालय

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 10 अगस्त, 2013

वित्तपोषक/भागीदार	: राष्ट्रीय संस्कृति निधि एवं इलाहाबाद संग्रहालय
परियोजना विवरण	: ''भारतीय संग्रहालयों का कोष'' नामक प्रकाशन श्रृंखलाओं का डिजाइन, तैयारी और प्रकाशन

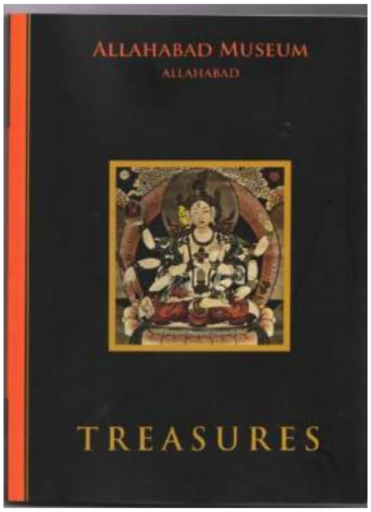

इलाहाबाद संग्रहालय के कोष का प्रकाशन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि भारतीय संग्रहालयों के असाधारण संकलनों को दर्शानेवाले ''भारतीय संग्रहालयों का कोष'' नामक उच्च गुणवत्ता प्रकाशन श्रृंखलाओं के डिजाइन, तैयारी और प्रकाशन की परियोजना शुरू करने के लिए सहमत है। 5 संग्रहालयों नामतः राष्ट्रीय संग्रहालय, (दिल्ली), भारतीय संग्रहालय (कोलकाता), सी वी एम वी एस (मुम्बई), सालारजंग संग्रहालय (हैदराबाद) और इलाहाबाद संग्रहालय (इलाहाबाद) ने इस प्रकाशन श्रृंखला की छपाई के लिए एनसीएफ के साथ सहयोग करने पर सहमति दिखाई है। भारतीय संग्रहालय के कोष का प्रकाशन पूरा हो चुका है।

5. राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 22 दिसम्बर, 2009

वित्तपोषक/भागीदार : मैसर्स एन टी पी सी/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : निम्नलिखित स्मारकों का संरक्षण और विकास :

- मांडू के स्मारक समूह
- ललितगिरि/धौली

माण्डू के स्मारक समूह

माण्डू, जिला–धार (म.प्र.) स्थित होशंग शाह के मकबरे का संरक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

उत्खनित स्थल, ललितगिरि

उत्खनित स्थल, ललितगिरी, जिला–कटक, उड़ीसा के विकास एवं संरक्षण पूरा हो चुका है।

ललितगिरी स्थित स्तूप

प्रवेश द्वार से स्तूप तक सड़क का निर्माण

➢ 2018–19 में एनसीएफ की नई पहलें

एन सी एफ का प्राथमिक अधिदेश विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की स्थापना एवं पोषण है। एन सी एफ की भूमिका निजी, सार्वजनिक, सरकारी, गैर–सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के बीच संबंध को प्रेरित करना है और भारत की संपन्न, प्राकृतिक, मूर्त्त और अमूर्त्त विरासत के संस्थापन, संरक्षण, रक्षण और विकास के लिए संसाधनों को लामबंद करना है।

- एनसीएफ पीएसयू/निजी क्षेत्र को लगातार पत्र लिख रहा है। इस पत्र के प्रत्युत्तर में आईआईएफसीएल ने वर्ष 2017 के लिए एनसीएफ को रु. 5.00 करोड़ दान दिया है। उन्होंने एनसीएफ के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए पुनः रु. 1.46 करोड़ की अतिरिक्त निधि दी है।
- थाईलैंड साम्राज्य के वरिष्ठ नागरिकों से युक्त एक समूह 'विजिट धम्मानुवाट (वोंग) भिक्कु' का भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों के परिरक्षण में अंशदान करने की सामान्य अभिरूचि है। इस समूह ने सारनाथ में धमेख स्तूप और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर के परिरक्षण में एनसीएफ के जरिए इन स्थलों में से प्रत्येक के लिए लगभग रु. 20 लाख अर्थात् कुल 40 लाख का अंशदान देकर सहायता देने में अभिरूचि दिखाई है।

  दानदाता ने एक अलग परियोजना खाता में एनसीएफ के पास निधियां जमा कर दी है।

➢ कॉर्पस निधि

31 मार्च, 2019 (वित्त वर्ष 2018–19) को राष्ट्रीय संस्कृति निधि की वित्तीय स्थिति

31 मार्च, 2019 को एन सी एफ के पास उपलब्ध कुल राशि रु. 105.60 करोड़ है और इसमें शामिल है :

प्रारंभिक कॉर्पस : रु. 19.50 करोड़

कॉर्पस पर ब्याज : रु. 29.70 करोड़

परियोजना निधि : रु. 56.40 करोड़

(VI) चालू परियोजनाएं : 2018–19

क. सं.	परियोजना	एम ओ यू पर हस्ताक्षर	प्रायोजक
1.	क) कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
	ख) खजूराहो समूह मंदिर, म.प्र. में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
	ग) बैशाली, बिहार में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
	घ) भोगानंदीश्वर मंदिर, बंगलुरू, कर्नाटक में	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान

	संरक्षण कार्य एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास		
	ड.) कन्हेरी गुफा, महाराष्ट्र में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
2.	लोधी मकबरा परियोजना, नई दिल्ली	10.1.2006	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
3.	लौरिया नंदनगढ़	18.12.2007	बोकारो इस्पात संयंत्र
4.	कृष्णा मंदिर, हम्पी, कर्नाटक	12.6.2008	हम्पी प्रतिष्ठान एवं विश्व स्मारक निधि
5.	हिडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश	15.7.2008	यूको बैंक, चंडीगढ़
6.	आलमबाज़ार मठ परियोजना, कोलकाता पश्चिम बंगाल	14.10.2008	आलमबाज़ार मठ एवं एन सी एफ
7.	इब्राहिम रौज़ा का बागीचा एवं गोल गुम्बज़, बीजापुर, कर्नाटक	11.12.2009	नौरस ट्रस्ट
8.	विक्रमशिला, बिहार में खुदाई स्थल का संरक्षण	22.12.2009	मै. एन टी पी सी लि.
9.	अहोम स्मारक का संरक्षण, शिवसागर जिला, असम 1. रंग घर 2. करेंगनघर (गढ़गांव) 3. तालातल घर (जॉयसागर) 4. चेरईदेव में मैडेम्स का समूह	29.6.2010	ओ एन जी सी
10.	हज़ारद्वारी किला, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	13.7.2010	भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता
11.	श्री भुलेश्वर मंदिर का संस्थापन	26.3.2013	श्रीमती उत्तरादेवी चैरिटेबल एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान
12.	सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय का उन्नयन	31.05.2017	सोनी इंडिया प्रा. लि.
13.	9 स्मारकों में चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन (दिनांक 9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत)	19.11.2017	भारतीय अवसंरचना वित कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल)
अल्पकालिक परियोजनाएं			
14.	पुराना रंगनाथ मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी	21.7.2011	वेणुगोपाल मंदिर ट्रस्ट एवं एन सी एफ
15.	ए एस आई स्थल संग्रहालय, नालंदा, बिहार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	16.04.2015	एन सी एफ

❖ वर्ष 2018–19 की चालू परियोजनाओं का ब्योरा

1. स्मारकों का जीर्णोद्धार और विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख	: 30 मार्च, 2001
वित्तपोषक / भागीदार	: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल फाउंडेशन (आई ओ एफ), ए एस आई, एन सी एफ
परियोजना विवरण	: निम्नलिखित 5 स्मारकों का जीर्णोद्धार और विकास

एन सी एफ और ए एस आई के जरिए इंडियन ऑयल संरक्षण कार्य को वित्तपोषित करेगा और इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए विश्व–स्तरीय सुविधाएं विकसित करेगा। निम्नलिखित विश्व / राष्ट्रीय विरासत को पर्यटक / जन अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए चुना गया है :

क) कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर, उड़ीसा

ख) मंदिर समूह खजुराहो, मध्य प्रदेश

ग) कोल्हुआ,निकट वैशाली, बिहार

घ) कन्हेरी गुफाएं, महाराष्ट्र

ङ.) भोगानन्दीश्वर मंदिर, कर्नाटक

(क) सूर्य मंदिर परिसर, कोणार्क, उड़ीसा

अलंकृत रूप से गढ़ित यह तेरहवीं सदी का हिन्दू का पूजा स्थल सूर्य देवता, सूर्य के विशाल रथ को चित्रित करता है। मंदिर को सात अग्रगामी अश्वों द्वारा खीचे जाने वाले विशेष रूप से अलंकृत पहियों के बारह जोड़ों के साथ एक विशाल सूर्य रथ के रूप में कल्पित किया गया था। इस मंदिर में अनेक सहायक वेदिकाओं के अलावा एक ही धूरी में उच्च शिखर (अनुमानतः 68 मी. से अधिक ऊंचा) के साथ एक गर्भ गृह, एक जगमोहाना और एक अलग नाट मंदिर (नृत्य कक्ष) है। समय के साथ गर्भ गृह और नाट मंदिर का छत गायब हो गया है। नाट मंदिर अन्य उड़िया मंदिरों से अधिक संतुलित वास्तुगत डिज़ाइन को प्रदर्शित करता है। गर्भगृह तीन प्रक्षेपणों में सूर्य देवता के भव्य तस्वीर को प्रदर्शित करता है, जिसे सूक्ष्म मंदिर माना जाता है।

सूर्य मंदिर, कोणार्क

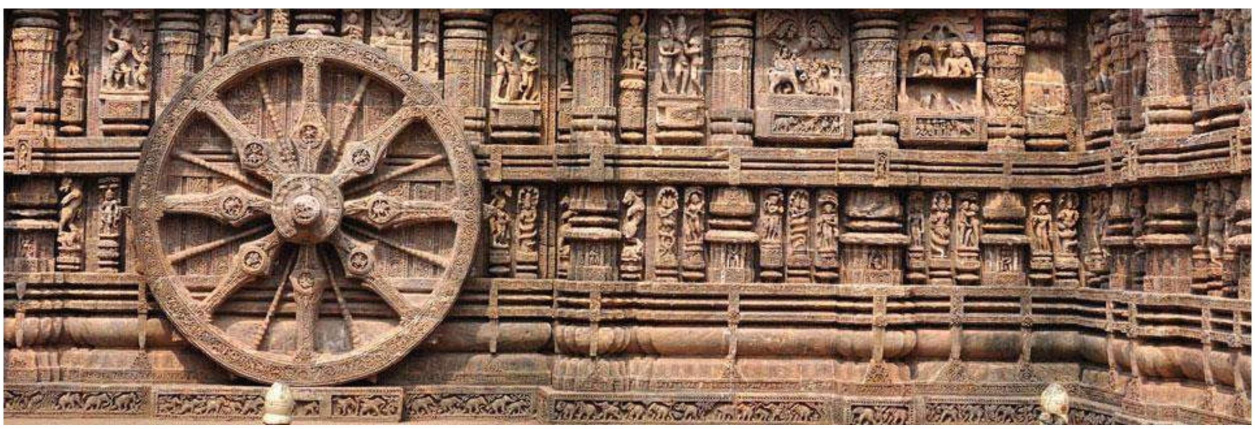

सूर्य मंदिर, कोणार्क की दिबाल पर एक चक्का

इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान द्वारा पर्यटन सुविधाओं का विकास :

- मुख्य सड़क – चित्रित सूर्य मंदिर तक सीधे पहुंच और बेहतर दृष्टि के लिए बाहरी रिंग रोड से प्रवेश द्वार तक भूचित्रित, गली चित्रित सड़क।
- विवेचन केन्द्र – चार प्रस्तुति वीथिकाएं, श्रव्य–दृश्य केन्द्र (बैठने की क्षमता : 200 व्यक्ति), वी आई पी दीर्घा, प्रशासनिक कार्यालय, विवरणिका/स्मारिकापटल, जलपान पटल, प्रसाधन खंड एवं टिकट काउंटर

- बाकी क्षेत्र में भूचित्रण।
- मुख्य पार्किंग – लगभग 60 बसों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं, प्रसाधन खंड, प्रतीक्षा दीर्घा, जल बिंदु, जलपान पटल और भूचित्रण।

(ख)खजुराहो मंदिर समूह

खजूराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, भारत में हिन्दू और जैन मंदिरों का एक समूह है। झांसी से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में स्थित ये भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से हैं। खजुराहो, प्राचीन खरज्जुरा वाहक अपनी तरह के विशिष्ट कला प्रतिमान और मंदिर वास्तुकला को प्रस्तुत करता है, जो चंदेल शासन के दौरान संपन्न और सृजनात्मक अवधि होने की गवाही देता है। यह चंदेल शासकों के प्राधिकारी का मुख्य स्थान था, जिन्होंने इसे अनेक तालाबों, मूर्तिकलात्मक भव्यता और वास्तुगत भव्यता के अनेक उच्च मंदिरों से सजाया। स्थानीय परंपरा में 85 मंदिरों की सूची है लेकिन अब केवल परिरक्षण के विभिन्न चरणों में 25 खड़े हैं। चौंसठ योगिनी, ब्रह्मा और महादेव के अलावा, जो ग्रेनाइट से बने हैं अन्य सभी मंदिर महीन दानेदार बलुआ पत्थर, पांडु, गुलाबी या हल्का पीले रंग में है।

खजुराहो

पर्यटक सुविधाओं का विकास :

पश्चिमी समूह में प्रस्तावित सुविधाएं

- दर्शक सुविधा केन्द्र (लगभग 5600 वर्ग मी. के भीतर)
- पर्याप्त बस/कार/2/3 पहिए के साथ सुविधा क्षेत्र (लगभग 2800 वर्ग मी. के भीतर)
- मुख्य सड़क – पहुंच सड़क विकास
- प्रवेश द्वार, पर्किंग, आश्रय, प्रसाधन खंड आदि

पूर्वी समूह में प्रस्तावित सुविधाएं

- पार्किंग क्षेत्र
- प्रवेश द्वार, पर्किंग, आश्रय, प्रसाधन खंड आदि

दक्षिणी समूह में प्रस्तावित सुविधाएं

- प्रवेश द्वार, आश्रय, प्रसाधन खंड, गार्ड केबिन आदि

(ग)<u>वैशाली, बिहार :</u>

वैशाली आज केला और आम के बागानों और धान के खेतों से घिरा एक छोटा गांव है। लेकिन क्षेत्र की खुदाई ने एक प्रभावकारी ऐतिहासिक भूतकाल को प्रकाश में लाया है। महाकाव्य रामायण में वीर राजा विशाल की कहानी है, जो यहां शासन करते थे। इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि वज्जियों और लिच्छिवियों के समय में ईसा पूर्व 6ठी सदी में यहां प्रतिनिधियों की निर्वाचित सभा के साथ विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य फला फूला था। और जब मौर्य और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ने गंगा के मैदान पर राजनीतिक सिक्का जमाया, वैशाली व्यापार और उद्योग का केन्द्र था। किंवदंती यह भी है कि भगवान बुद्ध अक्सरहां वैशाली जाते थे और इसके नजदीक स्थित कोल्हुआ में अपना अंतिम उपदेश दिए। इस घटना के स्मरण में सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी सदी में यहां प्रसिद्ध शेर स्तंभ खड़ा किया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद वैशाली ने दूसरे विशाल बौद्ध परिषद की मेज़बानी की। इस घटना की याद में यहॉ दो स्तूप बनाए गए।

स्तूप, वैशाली

कोल्हुआ में पर्यटन सुविधाओं का विकास :

<u>कोल्हुआ विवेचन केन्द्र पर प्रस्तावित सुविधाएं :</u>

विवेचन केन्द्र में मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल करते हुए केवल 60 मी. X 60 मी. भूमि पर एकमंजिला भवन में निम्नलिखित शामिल है :

- श्रव्य–दृश्य केन्द्र
- प्रदर्शन वीथिकाएं, कार्यालय खंड एवं स्वागत कार्यालय
- टिकट काउंटर
- वी आई पी दीर्घा, शिशु देखभाल कक्ष, प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्र
- जलपान गृह (फूड कोर्ट) एवं पेयजल स्थल
- स्मारिका की दुकान, महिला/पुरूष प्रसाधन खंड
- विद्युतीकरण, यांत्रिक एवं नलसाजी, संकेतक, बैठने का स्थान (बेंच) आदि
- सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि मेटल डिटेक्टर, सी सी टी वी आदि।

आस–पास के क्षेत्रों में विभिन्न सूचना संकेत रखने सहित बैठने का स्थान/वर्षा से बचाव स्थल, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण, यांत्रिक एवं नलसाजी कार्य होना है।

अब तक सभी सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं, केवल फीनिशिंग और सफाई का काम चल रहा है। प्रदर्शनी वीथिका का काम हो चुका है जहॉ फर्नीचर शीघ्र ही लगा दिया जाएगा।

मुख्य भवन (प्रशासनिक खंड) – कोल्हुआ (वैशाली)

जलपान गृह/वीथिका/श्रव्य दृश्य खंड

(घ)कन्हेरी गुफाएं, मुंबई :

कन्हेरी गुफाएं कटे हुए चट्टान के स्मारकों का समूह है, जो मुंबई के पश्चिम भाग में बोरीवली के उत्तर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों का कन्हेरी, कान्हासेला, कृष्णागिरि, कान्हागिरि प्रमुख बौद्ध केन्द्र था। कन्हेरी थाणे से छह मील दूर साल्सेट द्वीप में स्थित है। गुफाओं की खुदाई समुद्र तल से 1550 फीट ऊंची वोल्केनिक ब्रेसिया पहाड़ियों में की गई हैं। कन्हेरी एकल पहाड़ी में सबसे बड़ी संख्या में खुदी गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। पश्चिम में बोरीवली स्टेशन है और छोटी नदी के पार अरब सागर है।

गुफा 3, कन्हेरी गुफाएं, मुंबई

पर्यटक सुविधाओं का विकास :

कन्हेरी गुफाओं में और इसके आसपास प्रस्तावित विभिन्न तरह की सुविधाओं का विकास नीचे दिया गया है:

गुफा से सटे खुले क्षेत्र के लिए

प्रवेश द्वार पर दर्शक सुविधाएं/सुख साधन

- टिकट काउंटर
- स्मारिका दुकान एवं नारियल काउंटर आदि
- मुख्य प्रवेश द्वार और टिकट काउंटर का नवीकरण/उन्नयन

गुफाओं से सटी भूमि

- जलपान गृह
- वर्षा शरण स्थल
- प्रसाधनों का नवीकरण
- भूचित्रण आदि
- बैठने का स्थान (बेंच)

मौजूदा कक्ष ढांचा में विवेचन केन्द्र

पर्यटक की सुरक्षा और सूचना से संबंधित अन्य कार्य

- संकेतक
- सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि मेटल डिटेक्टर, सी सी टी वी आदि।
- ध्वनिरहित जेनरेटर सेट
- पेयजल सुविधा (जलापूर्ति व्यवस्था का पता लगाना है, ट्यूब वेल आदि)
- रैम्प, रैलिंग, जहां भी अपेक्षित हो, बनाना।

(ड.)बंगलोर के निकट भोगानंदीश्वर मंदिर :

9वीं से 15वीं सदी के बीच बना भोगानंदीश्वर मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से द्रविड़ शैली के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। दुहरे महाद्वार के साथ 112.8 मी. X 76.2 मी. क्षेत्र में अपने ही प्राकार से घिरा इस परिसर में भोगानंदीश्वर (उत्तर) और अरूणाचलेश्वर (दक्षिण) के रूप में शिव को समर्पित जुड़वां मंदिर है। दोनों के बीच एक छोटा मंदिर है। भोगानंदीश्वर मंदिर बंगलोर ग्रामीण जिला में नंदी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह सप्ताहांत में जाने वाला एक अच्छा स्थान है। इस पहाड़ी के आसपास टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित नंदी किला सहित पुराने जंगल के बीच अनेक रूचिपूर्ण स्थल हैं।

पर्यटक सुविधाओं का विकास :

भोगानंदीश्वर मंदिर परिसर के आसपास की प्रस्तावित सुविधाओं का विकास निम्नवत है :

- पार्किंग (30–40 वाहन) के साथ दर्शक प्लाजा, दर्शक सुविधाएं, किओस्क, विवेचन केन्द्र, जनसुविधाएं, स्मारिका दुकान और छोटा जलपान गृह
- पूरे परिसर के लिए संकेतक का विकास
- मठ मंडपसहित मंदिर परिसर की सजावट एवं 10 वर्ष के लिएप्रचालन
- पर्यावरण सुधार एवं भूचित्रण कार्य

2.लोधी मक़बरा परियोजना, नई दिल्ली

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 10जनवरी, 2006

वित्तपोषक/भागीदार : भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि./ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : लोधी मक़बरा, नई दिल्ली का संरक्षण एवं परिरक्षण।

लोधी मक़बरा, दिल्ली

लोधी उद्यान में स्थित स्मारक पूर्व मुग़ल कालीन इमारतों के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और शहर के भीतर एक निशान की तरह खड़े हैं। लोदी का मकबरा प्रसिद्ध लोदी उद्यान के बीचोंबीच में स्थित है।

लोदी मकबरा में सिकंदर लोदी को दफन किया गया है। लोदी मकबरा के साथ लोदी उद्यान के भीतर स्थित अन्य समाधि में मुहम्मद शाह का मकबरा, शीश गुंबद और बड़ा गुंबद शामिल है। सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टकोणीय मकबरा

है, जो अपनी सुंदर मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि इसमें विशिष्ट अष्टकोण योजना, गहरा बरांडा और लंबा मेहराब के साथ सईद प्रकार की वास्तुकला शैली का पुनरारंभ अभिव्यंजना है। मकबरा दुहरे गुंबद शीर्ष से विभूषित है, जो घिरे हुए क्षेत्र के भीतर सगौरव खड़ा है, जिसमें दक्षिण की ओर खुलने वाले विशाल दरवाजे से प्रवेश किया जाता है। भारत की राजधानी में निर्मित पहला उद्यान मकबरा, लोदी मकबरा प्रारंभिक 16 वीं सदी का है।

3. लौरिया नंदनगढ़

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 18 दिसंबर, 2007

निधिदाता/भागीदार : बोकारो इस्पात संयंत्र

परियोजना विवरण : बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ और चंकी गढ़ एवं रामपुरवा में अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का विकास

बोकारो इस्पात संयंत्र, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने रु. 50.00 लाख की राशि का अंशदान करके बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़, चंकी गढ़ एवं रामपुरवा में स्थित स्मारकों और स्थलों में पर्यटक सुविधाओं और उद्यानों के विकास के लिए निधियां देने की इच्छा व्यक्त की है।

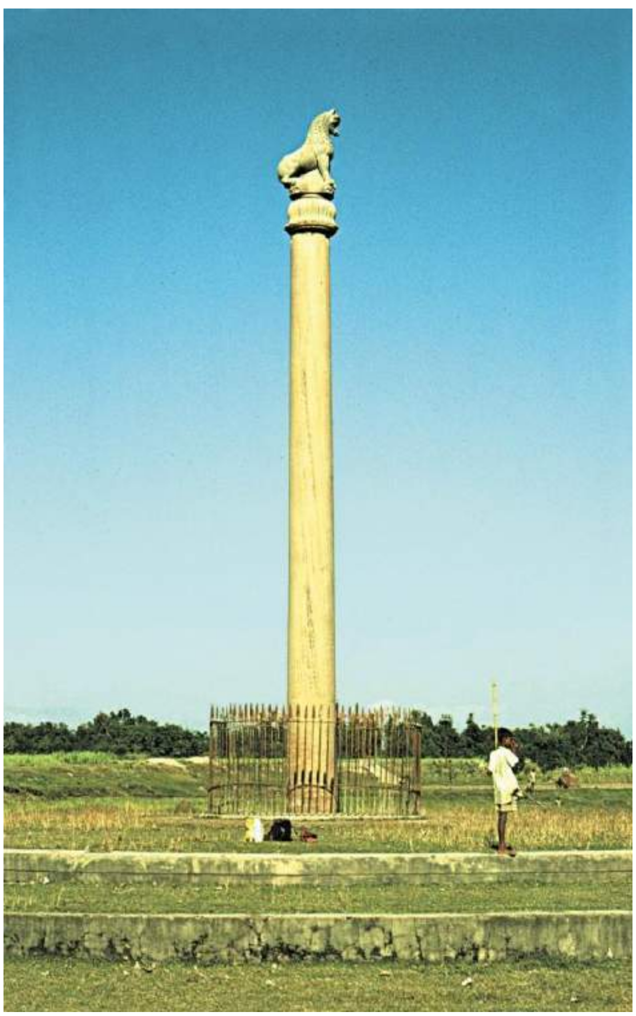

लौरिया नंदनगढ़

4. कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 12जून, 2008

वित्तपोषक/भागीदार : हम्पी फाउण्डेशन/विश्व स्मारक निधि/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास।

कृष्ण मंदिर, हम्पी

इस मंदिर का निर्माण राजा (कृष्णदेव राय) ने 1513 ई0 में कराया था। इस मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति बालकृष्ण (भगवान कृष्ण का शिशु रूप) की प्रतिमा थी। यह मूर्ति अब राज्य संग्रहालय, चेन्नई में प्रदर्शित की गई है। यह ऐसे बहुत कम मंदिरों में से एक है जिनमें मीनार की दीवारों पर महागाथाएं उत्कीर्ण हैं। यह सचमुच विजयनगर युग के मंदिर का एक सही नमूना है।

कृष्णदेव राय द्वारा विजय और 16 फरवरी 1515 को इस मंदिर की प्रतिष्ठा को वर्णित करते हुए अभिलेख इस मंदिर के सामने शिलाखंड पर पाया गया है। पूर्व गोमुरम के वृहत् ढ़ॉचे का केवल एक भाग मौजूद है, लेकिन इसके पश्चिम भाग पर कवच के साथ योद्धाओं, जीवंत घोड़ों एवं हाथियों के सूक्ष्म पलस्तर चित्र मौजूद हैं। यह संभवतः कृष्णदेव राय के उड़ीसा अभियान से जुड़े युद्ध के दृश्य को प्रदर्शित करता है।

प्रवेश द्वार के भीतरी भाग पर भगवान के दस अवतारों को प्रदर्शित करते हुए पौराणिक पशुओं पर खड़ी और फलक से भरी चित्रकारी पकड़ी हुई सुंदरता से गढ़ित अप्सराएं प्रदर्शित हैं। अन्य बड़े मंदिर परिसरों की तरह कृष्णपुर नामक उप–कस्बा इस मंदिर के आसपास विकसित है। सामने का बाजार अब भरा–पुरा धान का खेत है।

5. हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली, हिमाचल प्रदेश

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 15 जुलाई, 2008

वित्तपोषक/भागीदार : यूको बैंक/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : हिडिम्बा देवी मंदिर में पर्यटक सुविधाओं का सुधार

मनाली (हिमाचल प्रदेश) में हिडिम्बा देवी मंदिर

हिडिम्बा देवी मंदिर मनाली में स्थित है जिसे हिडिम्बा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत की एक देवी को समर्पित प्राचीन गुफा मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की तलहटी में देवदार वन से घिरा हुआ है। यह मंदिर जमीन से निकली एक बड़ी चट्टान के ऊपर बना है, जिसकी पूजा एक देवी के रूप में की जाती थी। इस मंदिर का निर्माण 1553 में हुआ था।

हिडिम्बा देवी मंदिर में बारीक नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजे हैं और मंदिर के ऊपर लकड़ी का 24 मीटर ऊंचा 'शिखर' या मीनार है। इस मीनार में लकड़ी के पट्टों से ढकी हुई तीन चौकोर छतें हैं और चोटी पर चौथी शंक्वाकार छत पीतल की है। मुख्य द्वार की नक्काशी का मुख्य विषय पृथ्वी देवी दुर्गा है। काम के क्षेत्र को संशोधित करने के लिए समझौता ज्ञापन के शुद्धि पत्र पर ए एस आई, एन सी एफ और यूको बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं।

6. आलमबाज़ार मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 14 अक्तूबर, 2008

वित्तपोषक / भागीदार : आलमबाज़ार मठ / एन सी एफ

परियोजना विवरण : आलमबाज़ार मठ का नवीकरण, पुनर्निर्माण।

आलमबाज़ार मठ, कोलकाता

आलमबाज़ार मठ की स्थापना फरवरी, 1892 ई. में हुई थी। यहां पर स्वामी अभेदानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णानंद, गौरीमा तथा अन्य शिष्य एकत्र हुए और ध्यान योग, धार्मिक अनुष्ठान, लोक कल्याण के कार्य एवं पूजा–पाठ में आध्यात्मिक जीवन गुजारे।

इस परियोजना के दो घटक हैं :

- आलमबाज़ार मठ का जीर्णोद्धार, नवीकरण और परिरक्षण
- मौजूदा स्कूल, औषधालय इत्यादि का पुनर्वास, दूसरे स्थान पर ले जाना / सुधार।

7. इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद, बीज़ापुर, कर्नाटक के बागों को हरा–भरा करना

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 11 दिसम्बर, 2009

वित्तपोषक/भागीदार : मैसर्स नौरस न्यास/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद, बीज़ापुर के बागों को हरा–भरा करना

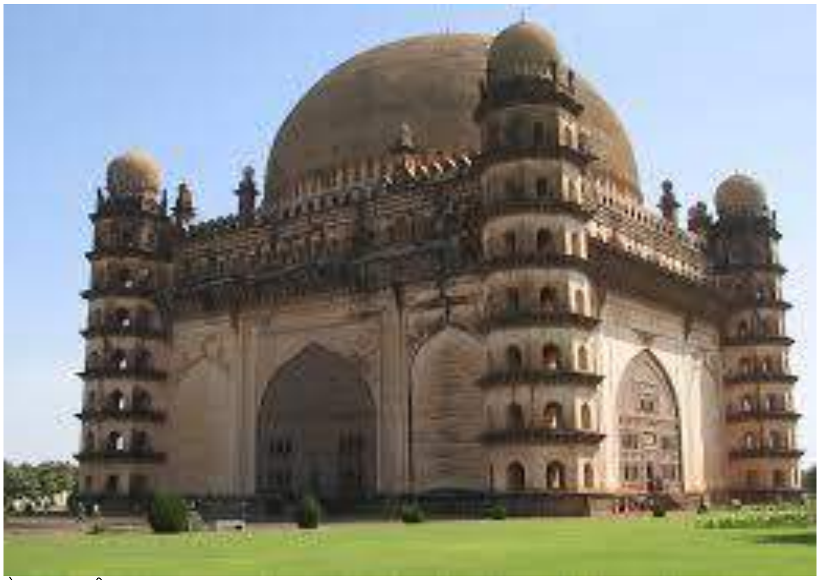

गोल गुम्बद, बीज़ापुर

कर्नाटक राज्य के बीज़ापुर जिले में स्थित मुहम्मद आदिल शाह (1626–56 ई.) का मक़बरा, गोल गुम्बद भारतीय–इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इस भवन में एक विशाल वर्गाकार कमरा है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 50 मी. (160 फुट) की है और इसके ऊपर 37.9 मी. (124 फुट) व्यास का विशाल गुम्बद स्थित है जो इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बदाकार भवन बनाता है। गोल गुम्बद की सबसे दिलचस्प और उल्लेखनीय विशेषता इसकी ध्वनि प्रणाली है। इस इमारत के भीतर मुहम्मद आदिल शाह, उनकी दो पत्नियों, उप पत्नी, पुत्री और पौत्र की कब्रें हैं।

गोल गुम्बद परिसर में एक उत्कृष्ट जल आपूर्ति प्रणाली भी है जैसा कि जल कुण्डों, फब्बारों सह कुण्ड, लिफ्ट सह कुंड और कुंओं से प्रतीत होता है।

ये बाग स्मारक की डिजाइन के अभिन्न भाग थे, जैसा कि बीजापुर के बाहर स्थित जहां बेग़म (आदिल शाह की पत्नी) के अधूरे मक़बरे में प्रदर्शित किया गया है। मूल बागों को समझने का महत्व दिखाई पड़ने से कहीं आगे तक जाता है जैसा कि इब्राहिम रौज़ा जिसका समय–समय पर बाढ़ से नुकसान हुआ है और गोल गुम्बद जहां लॉन में पानी देने के कारण इमारत के तलघर में नमी आने से रिसाव, में प्रदर्शित होता है।

इस परियोजना का उद्देश्य इस इमारत और बाग के बीच पुनः संबंध को यथासम्भव स्थापित करना है।

परियोजना के उद्देश्य –

- समकालीन उपयोगों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐतिहासिक काल के भूपरिदृश्य संबंधी भावना और शैली को अपनाने के लिए इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद के बागों को हरा–भरा करना।
- इस अनुभव से ऐसी विधि का निर्माण करना जिसे इस क्षेत्र के अन्य बागों पर लागू किया जा सके। इसमें एक दल का गठन करना भी शामिल है जो इस युग के बागों का अध्ययन, विश्लेषण और संरक्षण कर सके।

8. राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 22 दिसम्बर, 2009

वित्तपोषक/भागीदार : मैसर्स एन टी पी सी/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : निम्नलिखित स्मारकों का संरक्षण और विकास :

- विक्रमशिला के उत्खनित क्षेत्र

विक्रमशिला विश्वविद्यालय

यह पाल वंश के दौरान भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध अध्ययन केन्द्रों में से एक था, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में तथाकथित कमी आने के प्रतिक्रिया स्वरूप विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल (783 से 820 ई.) ने कराई थी। विक्रमशिला बिहार में भागलपुर से लगभग 50 कि.मी. पूर्व दिशा में स्थित है।

विक्रमशिला स्थल

विक्रमशिला स्थल

9. अहोम स्मारक, असम का संरक्षण

समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि	:	29 जून, 2010
वित्तपोषक/भागीदार	:	मै. ओ एन जी सी/एन सी एफ
परियोजना का विवरण	:	असम के शिव सागर जिले में स्थित निम्नलिखित चार अहोम स्मारकों का नवीकरण और अनुरक्षण :

- रंग घर
- कारेंग घर (गढ़गांव)
- तलातल घर (जयसागर)
- चेराई देव स्थित मैदम समूह (कब्रगाह)

तलातल घर, रंगपुर, असम

शिवसागर, भगवान शिव का सागर, भारत के असम राज्य के शिवसागर जिले में गुवाहाटी से लगभग 360 कि.मी. (224 मील) पूर्वोत्तर में एक कस्बा है। अपने इतिहास, संस्कृति और तालाबों के अलावा यह अहोम महलों और स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस स्थल के समीप ही ओ एन जी सी संयंत्र है।

क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व और उसके दल के ज़रिए ए एस आई द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

10. हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि	:	13 जुलाई, 2010
वित्तपोषक/भागीदार	:	भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता एवं एन सी एफ
परियोजना का विवरण	:	मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी महल संग्रहालय का विकास एवं उन्नयन

हजारद्वारी महल नवाब नाज़िम हुमायूं जाह के समय नव–शास्त्रीय शैली में निर्मित 41 एकड़ क्षेत्र में फैली तीन मंजिली इमारत है। इस महल की योजना समकालीन वास्तुकार कर्नल मैक्लेयोड डंकन ने 1829 से 1837 के बीच बनाई और कार्यान्वित की थी। इस आलीशान महल के भवन की मुख्य विशेषता है इसके सममितीय मोहरे (अग्रभाग) और डोरिक स्तम्भों पर सधे हुए त्रिभुजाकार त्रिकोणिका द्वारमण्डप तथा उत्तरी दिशा में स्थित आलीशान सीढ़ियों से इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। हजारद्वारी महल वर्ष 1977 में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और इसके अन्दर बने संग्रहालय को 1985 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपने पास ले लिया था।

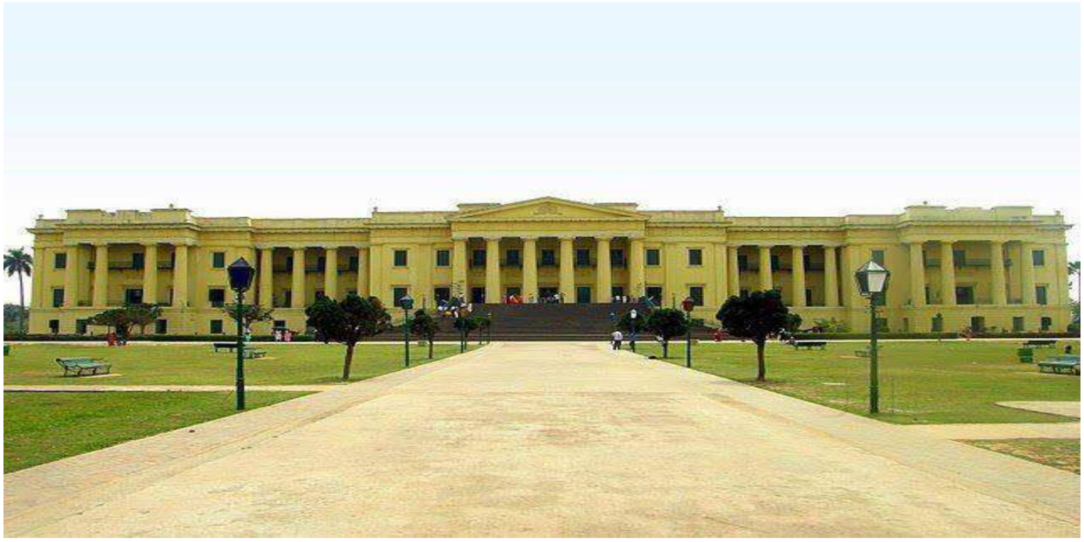

हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

11. भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 26 मार्च, 2013

वित्तपोषक/भागीदार : श्रीमती उत्तरादेवी चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजनाविवरण : भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र का संरक्षण एवं विकास

भुलेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है, जो 14वीं शताब्दी में मलशिरास गांव में चूना मोर्टार का प्रयोग करके निर्मित किया गया था। इसे चूना मसाला का इस्तेमाल करके पत्थर से बनाया गया है। यह ए एस आई के अंतर्गत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। मंदिर के सम्मुख एक हाल अथवा सभामण्डप का निर्माण बाद में किया गया था, जबकि मंदिर के बाहरी भाग में सुंदर गढ़ित पैनल हैं।

परियोजना एस. ए. मुंबई परिक्षेत्र, ए एस आई द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र

12. सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय, वाराणसी (उ. प्र.) का उन्नयन

ए एस आई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 31.05.2017

वित्तपोषक / भागीदार : सोनी इंडिया प्रा. लि.

परियोजना विवरण : सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय का उन्नयन (एन सी एफ – दानकर्त्ता के बीच 30.03.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत)

सारनाथ स्थल

कार्य का लक्ष्य है –

- सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षा व्यवस्था (अद्यतन एनविट प्रणाली के साथ उन्नत सी सी टी वी का संस्थापन)
- संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर की तलाशी के लिए सुरक्षा एजेंसी से कार्मिक की नियुक्ति
- सारनाथ के उत्खनित अवशेषों के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की तलाशी के लिए सुरक्षा एजेंसी से कार्मिक की नियुक्ति
- संग्रहालय में गृह व्यवस्था कर्मचारी
- सारनाथ के उत्खनित अवशेषों पर गृह व्यवस्था कर्मचारी
- पेड़ों के नीचे दर्शकों के लिए बैठक प्लाज़ा को विकसित किया जाना है।
- विवेचन केन्द्र का उन्नयन
- संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर गढ़ित शेड

अब तक परियोजना के अधीन सारनाथ संग्रहालय और उत्खनित स्थल पर निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

- 05 मॉनीटर सहित 68 क्लोज सर्किट कैमरे स्थल और संग्रहालय में संस्थापित किए गए हैं (संग्रहालय में 62 + स्थल पर 6)
- सभा भवन का उन्नयन।
- 5 बैठक प्लाजा (स्थल पर 03 + संग्रहालय में 02)।
- संग्रहालय का सुरक्षा कक्ष।

सभा भवन

संग्रहालय का सुरक्षा कक्ष

संस्थापित सीसीटीवी कैमरे की निगरानी इकाई

बैठने का प्लाजा

सारनाथ संग्रहालय की वीथिका

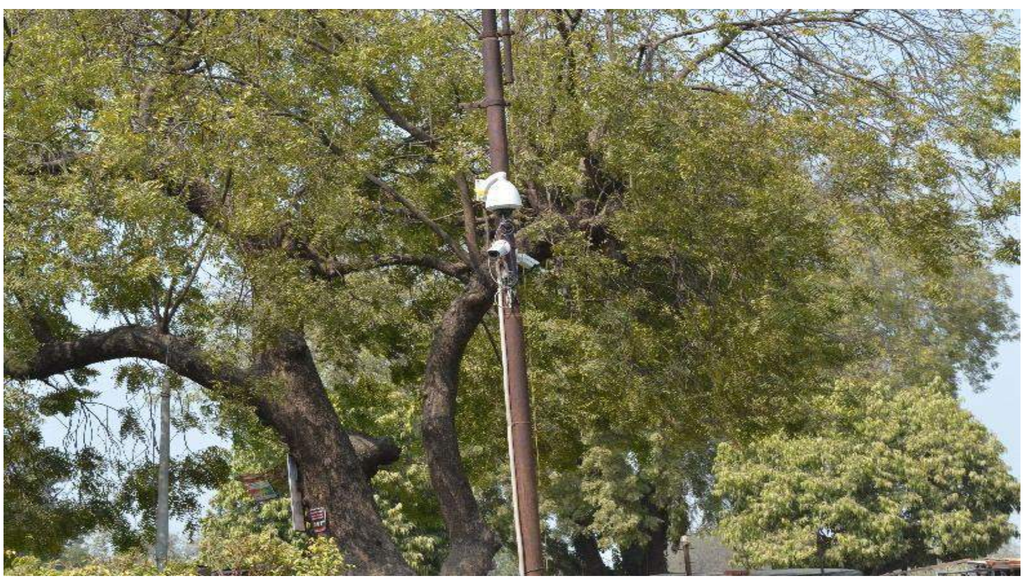

स्थल पर सीसीटीवी कैमरे का संस्थापन

13.ए एस आई के अंतर्गत 9 स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 19.11.2017

वित्तपोषक/भागीदार : भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

परियोजना विवरण : ए एस आई के अंतर्गत निम्नलिखित 9 स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन (9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत्)

सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और रक्षण शुरू करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ), संस्कृति मंत्रालय और भारतीय अवसंरचना वित कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल) के बीच 9 मार्च, 2016 को एक प्रछत्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। बाद में निम्नलिखित ए एस आई स्मारकों पर चक्रद्वार के साथ दर्शक प्रबंधन समाधान प्रदान करने और ऑनलाइन टिकट प्रणाली (ई–टिकट सुविधा) के साथ समेकन के लिए एन सी एफ – ए एस आई – आई आई एफ सी एल के बीच एक त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआः

- लाल किला, दिल्ली
- कुतुबमीनार, दिल्ली
- हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली
- पुराना किला, दिल्ली
- ताजमहल, आगरा
- सूर्य मंदिर, कोणार्क
- एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद
- बीबी का मकबरा, औरंगाबाद
- शनिवारवाड़ा, पुणे

चक्रद्वार टिकट प्रणाली को भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) पहल के तहत् वित्तपोषित किया जा रहा है। यह प्रणाली निश्चित रूप से स्मारक परिसरों के भीतर दर्शकों को सुगम प्रवेश प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पहले की प्रवेश व्यवस्था की तुलना में बहुत ही क्रमिक और बाधामुक्त है और इसमें कम समय लगता है।

कुतुब मीनार प्रवेश द्वार

कुतुब मीनार, नई दिल्ली के प्रवेश बिंदु पर चक्रद्वार टिकटिंग

❖ <u>चालू अल्पकालिक परियोजनाएं</u>

एन सी एफ के कथित उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं पर अध्ययन एवं अनुसंधान आयोजित करना,
- सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में स्टाफ सदस्यों और व्यावसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रिकार्डिंग के मौखिक और अन्य अमूर्त रूपों का संवर्धन करना,
- मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण और रक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निधियों के सृजन के अलावा, एन सी एफ ने विरासत परियोजनाओं में संस्थानों को सहायता भी दी है। इस श्रेणी में एन सी एफ ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :

14. रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए वृहत् परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 14.10.14

वित्तपोषक / भागीदार : एन सी एफ / मै. द्रोहर (परामर्शदाता)

परियोजना विवरण :

श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर पुराना रंगजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह 1844 में बना पुष्कर में सबसे पुराना द्रविड़ शैली का मंदिर है।

श्री रघुनाथ वेणुगोपाल मंदिर द्रविड़ मंदिर वास्तुकला और राजस्थान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट संयोजन है और इसमें चूना मसाला से बना सड़क और पुराने कलात्मक प्रतिमान के साथ आंतरिक मंदिर के चित्रित दीवारों सहित राजस्थान शैली में सज्जित और विशाल प्रवेश द्वार और बाहरी परिक्रमा पथ है। मंदिर का आवासीय परिसर 90,000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है।

दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली और राजस्थानी शैली में निर्मित मंदिर परिसर धार्मिक और मिथक कहानियों में चित्रकारी के साथ अलंकृत डिज़ाइन से भरा–पड़ा है।

दीवारों पर शेखावती क्षेत्र का महत्वपूर्ण भित्ति चित्र परम्परा अंकित है। भित्ति चित्र का क्षरण हो रहा है और इसके परिरक्षण और संरक्षण हेतु तुरंत ऐहतियात बरतने की आवश्यकता है।

स्थिति के मूल्यांकन के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित है।

एन सी एफ की लघु अनुदान योजना के तहत् पुष्कर राजस्थान स्थित पुराना रंगजी मंदिर के संरक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु एन सी एफ और मै. द्रोहर (परामर्शदाता) के बीच संगम ज्ञापन पर 14.10.2014 को हस्ताक्षर किया गया है।

पुराना रंगजी मंदिर, पुष्कर

मंदिर में भित्ति चित्र, पुष्कर

15. नालंदा स्थल संग्रहालय, बिहार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

मंदिर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 16 अप्रैल, 2015

वित्तपोषक / भागीदार : मै. एस्ट्रो लिंक्स (परामर्शदाता)

परियोजना विवरण :

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मै. एस्ट्रो लिंक्स (परामर्शदाता) द्वारा तैयार किया जा रहा है।

डी पी आर का उद्देश्य स्थल का अध्ययन है और यह उपाय सुझाना है कि कैसे संरक्षण हस्तक्षेप शुरू करके स्थल के महत्व को बढ़ाया जाए, जो न केवल इसके महत्त्व की रक्षा करेगा वरन् इसके दर्शक को समग्र एवं प्रामाणिक अनुभव भी प्रदान करेगा।

नालंदा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रतिवर्ष औसत 2.5 लाख आगंतुको के साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके महत्व को अच्छी तरह विवेचित किया जाए।

वर्तमान स्थल संग्रहालय संभवतः खुदाई स्थल पर पुरातत्वविदों के कार्य के लिए 1915 में एक अतिथि गृह के रूप में बनाया गया था। इसे 1917 में नालंदा तथा राजगीर से उत्खनित पुरावस्तुओं को रखने के लिए संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद इसे 1956 में नवीकृत किया गया। केवल 390 वर्ग मी. के कवरेज क्षेत्र के साथ यह संग्रहालय भवन निश्चित रूप से 13,463 कला तथ्यों के लिए पर्याप्त नहीं है।

भवन के भौतिक ढांचे को संरक्षित करने और संग्रहालय के मूल तंतु की रक्षा हेतु केवल न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एनेक्सी खंड प्रमुख रूप से दर्शक विवेचन और सुविधा को पूरा करेगा। इसमें टिकट काउंटर, विवेचन केन्द्र, अमानती सामान घर, संग्रहालय दूकान, बाल शिक्षा क्षेत्र आदि जैसा कार्य होगा।

नालंदा स्थल

नालंदा स्थल

नालंदा स्थल

नालंदा संग्रहालय को एक 'स्थल संग्रहालय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह किसी अन्य संग्रहालय से बहूत अलग है। इस पहलू को डिजाइन हस्तक्षेपों के जरिए वद्धित और अच्छी तरह से विवेचित किया जाना चाहिए। स्थल संग्रहालय में अवशेषों/अन्वेषणों को बहूत ही सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि दर्शकों द्वारा स्थल के साथ उनके संबंध में आसानी से समझा जा सके।

यह परियोजना भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के रक्षण का राष्ट्रीय संस्कृति निधि के दर्शन का एक भाग है। यह पहल शामिल की गई विधाओं के वृहत रेंज जैसे कि पुरावशेष परिरक्षण, संरक्षण प्रदर्शनी, पुरातत्व, कला इतिहास, ऐतिहासिक भवन संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, प्रलेखन, ढ़ॉचागत एवं सिविल इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन, अन्यों के साथ भूचित्र डिजाइनिंग के साथ एक अनुभवी बहु–विषयक दल द्वारा विचारों के आदान–प्रदान एवं उनके कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। लेखा परीक्षा 2020–21 तक की अवधि के लिए सौपी गई है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय संस्कृति निधि प्रबंधन की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानदंड और प्रगटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी शामिल है। विधि, नियम एवं विनियम (मालिकाना एवं विनियामक) के अनुपालन और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/कैग के लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिए सूचित की जाती है।

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक मिथ्या विवरणों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं। लेखा परीक्षा में राशियों का समर्थनकारी साक्ष्य और वित्तीय विवरण के प्रगटन का जांच आधार पर परीक्षण शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और किए गए पर्याप्त आकलनों का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

i. हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा डील किया गया तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखाओं के सामान्य फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहियां और अन्य संगत रिकार्ड रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क. 1 देयताएं

क.1.1 चालू देयताएं एवं प्रावधन (अनुसूची–7) रु. 30.19 लाख

क.1.1.1 उपर्युक्त में नीचे यथा वर्णित दीर्घ लंबित देयताएं शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	रु. लाख में	इस अवधि से लंबित
1	नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल रु. 9.40 लाख की वस्तु एवं सेवाओं के लिए विविध लेनदार	7.12	मार्च 2012
2	प्राप्त अग्रिमें	4.62	जून 2009
3	राष्ट्रीय संग्रहालय को देय	7.42	अप्रैल 2005 से पूर्व

दीर्घ लंबित अग्रिमें असमायोजित पड़ी हैं और इसे पुनरीक्षित किए जाने और निपटाने की आवश्यकता है। संदेहास्पद राशि, यदि कोई है, का उल्लेख किया जाए और उससे कमी के रूप में प्रावधान दिखाया जाए।

ख. सामान्य

ख.1 तुलन पत्र की अनुसूची 3 के अनुसार एनसीएफ के अंतर्गत 42 परियोजनाएं थीं, जिसके लिए अलग बैंक खाते रखे गए थे। लेखा परीक्षा ने नोट किया कि 42 परियोजनाओं में से केवल 20 परियोजनाएं चालू थीं और बॉकी 2002–2018 के दौरान पूरी हो चुकी थीं। पूर्ण परियोजनाओं के खाते को पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है और खातों में पड़ी 2.00 करोड़ की राशि को संबंधित परियोजना प्रायोजकों को वापस किया जाए।

ख.2 48 बैंक खातों में, 32 बैंक खाते 31 मार्च 2019 को निष्क्रिय थे।

ख.3 चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन के लिए वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान प्राप्त रु. 1.01 करोड़ की अव्ययित राशि मंत्रालय को मई, 2014 में लौटाई गई। तथापि, एन सी एफ ने अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज की राशि को वापस नहीं किया। इस खाते पर अर्जित ब्याज को भी वार्षिक लेखे में अलग से नहीं दर्शाया गया। इसका परिणाम उक्त सीमा तक देयता की कम अभिव्यक्ति और कॉरपस निधि की अधिक अभिव्यक्ति हुई। इस मामले को पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था, तथापि एन सी एफ द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.4 वर्ष 2016–17 के लिए दिसंबर 2018 में एक मूल्यांकन आदेश के रूप में आयकर प्राधिकारियों द्वारा रु. 2.70 करोड़ की मॉग की गई, जिसके विरूद्ध एनसीएफ ने जनवरी 2019 में अपील की। इस तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में उजागर नहीं किया गया

ग. सहायता अनुदान

एन सी एफ को रु. 1950 लाख की एकमुश्त कॉरपस निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2017–18 के प्रारंभ में एन सी एफ के पास रु. 4682.27 लाख की कॉरपस निधि थी। इसने वर्ष के दौरान निधि के निवेश पर रु. 328.14 लाख का ब्याज अर्जित किया। इसे वर्ष के दौरान रु. 42.08 लाख की विविध प्राप्ति हुई। उपलब्ध रु. 370.22 लाख निधियों में से इसने रु. 132.01 लाख का उपयोग किया और रु. 238.21 लाख के अव्ययित शेष को कारपस निधि में अंतरित कर दिया। वर्ष के अंत में एन सी एफ के पास रु. 4920.48 लाख की कारपस निधि थी।

v. पूर्ववर्ती पैरा में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किया गया तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर नोटों के साथ पठित और ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और ठीक तस्वीर पेश करता है :

(क) जहां तक कि इसका संबंध 31 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि की कार्य स्थिति के तुलन पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अतिरेक के आय एवं व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
महालेखा परीक्षक
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 01.12.2020

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

   इसकी स्थापना से एन सी एफ की आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

   - एनसीएफ अंतिम तिथि के बाद आयकर विवरण दायर करता आ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसे वर्ष 2018–19 के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 234ई के अंतर्गत रु. 4.80 लाख के दंड का भुगतान करना पड़ा। न्यास होने के कारण वापसी के लिए पात्र होने के लिए समय पर अपना विवरण दायर करना एनसीएफ की प्रारंभिक जिम्मेवारी थी। समय से विवरण दायर नहीं करने का परिणाम दंड का भुगतान हुआ।
   - बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2002–03 से 2016–17 की अवधि में 38 निरीक्षण रिपोर्ट पैरे बकाए थे।
   - एनसीएफ के पास 32 बैंक खाते निष्क्रिय थे।
   - एन सी एफ ने अपनी स्थापना से उप–नियम नहीं बनाए थे।
   - एन सी एफ ने अपनी स्थापना से उप–नियम नहीं बनाए थे। यह अधिकारियों के विनियम, प्रबंधन, नियुक्ति और उनकी निबंधन एवं शर्तों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप नहीं था। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
   - एन सी एफ ने नियत परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया था। एन सी एफ ने केवल नियत परिसंपत्तियों का एक कंप्यूटरीकृत विवरण प्रस्तुत किया है, जिसे ह्रास राशि की गणना की सुविधा के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार किया गया था। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
   - एन सी एफ में वाऊचरों के अनुरक्षण की उपयुक्त प्रणाली मौजूद नहीं है। मार्च 2019 माह के लिए वाउचरों की जांच से निम्नलिखित त्रुटियां सामने आईं :

     i) भारत सरकार के प्राप्ति एवं भुगतान नियमों के नियम 59 में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार वाउचरों को अनुरक्षित नहीं किया गया।

     ii) वाउचर स्वीकृतियों और भुगतान ब्यौरे द्वारा समर्थित नहीं थे।

     iii) वाउचर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।

     उपर्युक्त के मद्देनजर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए वाउचर की प्रामाणिकता पर लेखा परीक्षा में ध्यान नहीं दिया जा सका। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- नियत जमा में निवेश उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना और अपेक्षित सावधानी के बिना किया गया, जिसका परिणाम निम्नतर दरों पर नियत जमाओं में निवेश हुआ, जो त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को प्रकट कर रहा है।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

   - मार्च 2019 तक स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। तथापि, एन सी एफ के पास कोई स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं है और न ही इसने लेखा परीक्षा को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

   - मार्च, 2019 तक लेखन सामग्री और उपभोग्य मदों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। तथापि, एन सी एफ ने लेखा परीक्षा को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

   - 31.03.2019 को सांविधिक बकायों के संबंध में छह माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

प्रबंधन पत्र (एन सी एफ) का संलग्नक

1. रु. 3.91 लाख का विविध देनदार 2013 से लंबित था। न तो अतिदेय देनदारों की पुनरीक्षा की गई और न ही लेखे में इसके लिए कोई प्रावधान किया गया।

2. अनुसूची 24 एवं 25 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां की बिंदु सं. 2 के अनुसार यह घोषित किया गया था कि नियत परिसंपत्तियों पर ह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम में यथा निर्धारित के अनुसार है और वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों में जोड़ और कमी पर प्रो–राटा आधार पर विचार किया गया है। इसके उल्लंघन करके एनसीएफ ने अतिरिक्त खरीददारियां की है, जिसमें ह्रास की गणना में गलतियां थीं। इसका परिणाम रु. 0.11 लाख के ह्रास की अधिक अभिव्यक्ति और रु. 0.11 लाख का परिसंपत्तियों की कम अभिव्यक्ति हुई।

3. एन सी एफ में वाऊचरों के अनुरक्षण की उपयुक्त प्रणाली मौजूद नहीं है। मार्च 2019 माह के लिए वाउचरों की जांच से निम्नलिखित त्रुटियां सामने आईं :

i) भारत सरकार के प्राप्ति एवं भुगतान नियमों के नियम 59 में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार वाउचरों को अनुरक्षित नहीं किया गया।

ii) वाउचर स्वीकृतियों और भुगतान ब्यौरे द्वारा समर्थित नहीं थे।

iii) वाउचर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।

उपर्युक्त के मद्देनजर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए वाउचर की प्रामाणिकता पर लेखा परीक्षा में ध्यान नहीं दिया जा सका। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एक्स वी–5352/ए (प्रथम तल)
शोरा कोठी, पहाड़गंज,
नई दिल्ली–110055
टेलीफोन : 23562736, 23586782
टेली./फैक्स : 23586782

<u>लेखा परीक्षक का रिपोर्ट</u>

हमने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और आय एवं व्यय लेखा की लेखा परीक्षा की है और रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

ख) हमारी राय में सोसायटी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर नोटों के साथ पठित और ऊपर कथित लेखाएं सत्य और ठीक तस्वीर पेश करता है :

i) 31 मार्च, 2019 को एसोसिएशन के कार्य स्थिति के तुलन पत्र के मामले में है,

ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निधियों के व्यय के ऊपर अतिरेक के आय एवं व्यय के मामले में है,

iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी के संचलन के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के मामले में है।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 4 सितंबर, 2019

वार्षिक रिपोर्ट
राष्ट्रीय संस्कृति निधि
वार्षिक वर्ष 2018-19

नाम : राष्ट्रीय संस्कृति निधि

दर्जा : न्यास/निवासी

मूल्यांकन वर्ष : 2019–20

पूर्व वर्ष : 31–03–2019

पैन : एएएटीएन4595एम

सर्कल : सर्कल–II

निगमन की तिथि : 28.11.1996

बैंक/शाखा : स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/नई दिल्ली

बैंक खाता : 55113357445

मूल्यांकन योग्य आय का विवरण

राशि (रु. में)

वर्ष के दौरान सकल प्राप्ति		
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार सकल प्राप्ति **घटा:** सकल प्राप्ति के 15 प्रतिशत की सीमा तक धारा 10(23ग)(iv) के तहत् छूट		37,022,160 5,553,324
कुल (क)		31,468,836
घटा: वर्ष के दौरान निधियों का अनुप्रयोग आय एवं व्यय लेखा के अनुसार कुल व्यय **घटा :** भुगतान किया गया आयकर शास्ति **घटा:** आय एवं व्यय लेखा को प्रभारित ह्रास	 13,201,373 480,555 351,488	
 जोड़ : वर्ष के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय	12,369,330 56,588	 12,825,918
वर्ष का निबल शेष कर योग्य आय		**18,642,918** **18,642,918**
कुल आय		**18,642,918**
कुल आय पर कर जोड़ : 4 प्रतिशत की दर से ईसी एवं एसएचईसी कुल देय कर **घटा : टीडीएस**		– – – –
शेष देय		–

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कार्पस / पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
कार्पस / पूंजीगत निधि	1	4920,47,781	4682,26,994
रिजर्व एवं अतिरेक	2	-	-
उद्दिष्ट / वृत्तिदान निधि	3	5640,56,459	2203,68,331
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	38,19,276	35,16,010
कुल		**10599,23,516**	**6921,11,335**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	21,02,905	19,97,805
उद्दिष्ट / वृत्तिदान निधि से निवेश	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	10578,20,611	6901,13,530
विविध खर्च (बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		-	-
कुल		**10599,23,516**	**6921,11,335**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल कुमार
(भागीदार)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.09.2019

कृते राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान एवं सहायिकी	13	2,000	1,880
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निधियों में नहीं अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	328,14,560	241,46,569
अन्य आय	18	42,05,600	9,51,931
तैयार मामलों के भंडार में वृद्धि/(कमी) और प्रगति में कार्य	19	-	-
कुल (क)		**370,22,160**	**251,00,380**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	36,63,176	23,29,822
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	40,55,033	12,75,425
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	46,51,121	-
ब्याज	23	4,80,555	55,98,765
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल कुल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		3,51,488	2,31,716
कुल (ख)		**132,01,373**	**94,35,728**
व्यय का तुलना में अधिक आय के कारण शेष (क – ख)		238,20,787	156,64,652
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण		-	-
अधिक/कम शेष जो कार्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		238,20,787	156,64,652
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	-	-

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

विपुल कुमार

(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 04.09.2019

कृते राष्ट्रीय संस्कृति निधि की ओर से

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1 – कार्पस/पूंजीगत निधि	31.03.2019		31.03.2018	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		4682,26,994		4525,62,342
जोड़ें – कार्पस/पूंजीगत निधि में अंषदान	-		-	
जोड़ें/(घटाएं) – आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	238,20,787		156,64,652	
घटाएं : अलग संयुक्त बैंक खाते में अंतरित राशि		238,20,787		156,64,652
वर्ष के अंत में शेष		4920,47,781		4682,26,994

अनुसूची – 2 – रिजर्व एवं अतिरेक	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजीगत रिजर्व				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़	-		-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़	-		-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़	-		-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़	-		-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	निधि वार ब्यौरा				
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	31.03.2019	31.03.2018
क) **निधि का आरंभिक शेष**	संलग्न अनुबंध के अनुसार			2203,68,331	2375,74,974
ख) **निधि में परिवर्धन**					
i. दान/अनुदान				3888,83,913	154,61,103
ii. निधियों में से किए गए निवेषों से आय				360,28,369	118,33,543
iii. अन्य परिवर्धन (स्वरूप का उल्लेख करें)				-	-
कुल (ख)				4249,12,282	**272,94,646**
कुल (क+ख)				**6452,80,613**	**2648,69,620**
ग) **निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय**					
i. **पूंजीगत व्यय**					
– स्थायी परिसंपत्तियां					-
– अन्य					-
योग					-
ii. **राजस्व व्यय**					
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि					-
– किराया					-
– अन्य प्रशासनिक व्यय				20,960	11,634
– परियोजना व्यय				812,03,194	444,89,655
योग				812,24,154	**445,01,289**
योग (ग)				**812,24,154**	**445,01,289**
वर्ष के ३ में निबट वर्ष के अंत ं में निबल शेष (क+ख–ग)				**5640,56,459**	**2203,68,331**

टिप्पणी :

1. अनुदानों से संबद्ध शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अधीन प्रकटन किया जाएगा।

2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना गत निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शायी जाएगी और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में) अनुसूची–3 का अनुबंध

अनुसूची–3 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

निधि–वार ब्यौरा

	बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	हुमायूं का मकबरा परियोजना, दिल्ली	जंतर मंतर परियोजना, दिल्ली	ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता	किष्किन्धा ट्रस्ट परियोजना	रमण महर्षि परियोजना भाग–1	शनिवारवाड़ा, पुणे परियोजना	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	डी. जी. जैसलमेर किला परियोजना	देवाहुति दामोदर स्वराज ट्रस्ट परियोजना	लोधी मकबरा परियोजना
चालू वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. निधि का प्रारंभिक शेष	1,32,975	21,018	8,13,315	16,320	59,392	1,115	20,19,104	11,64,560	464,36,772	9,270	34,87,415
ख. निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	4,712	745	29,442	-	1,586	29	2,17,008	22,064	48,07,082	327	1,23,672
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त मंच किराया	-	-	-				-				
कुल (ख)	4,712	745	29,442	-	1,586	29	2,17,008	22,064	48,07,082	327	1,23,672
कुल (क+ख)	1,37,687	21,763	8,42,757	16,320	60,978	1,144	22,36,112	11,86,624	512,43,854	9,597	36,11,087
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	4,307	-	-		30.00			-
– परियोजना व्यय	-	-	-	-	-	-	80,799	5,67,420.00	11,03,253	59	-
कुल	-	-		4,307		-	80,799	5,67,450.00	11,03,253	59	-
कुल (ग)	-	-	-	4,307	-	-	80,799	5,67,450.00	11,03,253	59	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	1,37,687	21,763	8,42,757	12,013	60,978	1,144	21,55,313	6,19,174.00	501,40,601	9,538	36,11,087
निधियों का योग	1,37,687	21,763	8,42,757	12,013	60,978	1,144	21,55,313	6,19,174	501,40,601	9,538	36,11,087
गत वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) निधि का प्रारंभिक शेष	1,28,055	20,380	7,84,249	16,320	56,823	1,187	20,19,104	11,21,867	645,63,458	8,983	33,62,294
ख) निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	-	-		-	-	-	-	-		-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	4,920	756	29,181	-	2,684		-	42,811	19,82,861	346	1,25,236
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
प्राप्त मंच किराया	-	-	-				-				
कुल (ख)	4,920	756	29,181	-	2,684	-	-	42,811	19,82,861	346	1,25,236
कुल (क+ख)	1,32,975	21,136	8,13,430	16,320	59,507	1,187	20,19,104	11,64,678	665,46,319	9,329	34,87,530
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
– अन्य प्रशासनिक व्यय		118	115		115	72	-	118	178	-	115
– परियोजना व्यय	-	-	-		-	-	-	-	201,09,369	59	-
कुल	-	118	115		115	72	-	118	201,[illegible] 547	59	115
कुल (ग)	-	118	115		115	72		118	201,09,547	59	115
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	1,32,975	21,018	8,13,315	16,320	59,392	1,115	20,19,104	11,64,560	464,36,772	9,270	34,87,415
निधियों का योग	1,32,975	21,018	8,13,315	16,320	59,392	1,115	20,19,104	11,64,560	464,36,772	9,270	34,87,415

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची–3 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

	लौरिया नंदनगढ़ परियोजना – बोकारो स्टील प्लान्ट	आलमबाजार मठ, कोलकाता परियोजना	हिडिम्बा देवी मंदिर परियोजना, मनाली	गोल गुंबद, बीजापुर–एस टी सी परियोजना	वज़ीरपुर का गुंबद – पी ई सी परियोजना	तुगलकाबाद किला परियोजना	हम्पी फाउंडेशन परियोजना	इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजना	किशोरी अमोनकर पर वृत्तचित्र परियोजना	हजारद्वारी, मुर्शिदाबाद परियोजना	नौरस न्यास परियोजना
चालू वर्ष	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क. निधि का प्रारंभिक शेष	**32,17,143**	**87,02,203**	**8,19,147**	**13,686**	**1,55,895**	**1,18,031**	**3,00,088**	**141,50,742**	**14,213**	**10,94,352**	**14,48,226**
ख. निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	3701,00,000		-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	1,14,087	4,23,624	29,030	486	5,527	-	10,671	173,41,294	-	93,401	98,293
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
प्राप्त मंच किराया											
कुल (ख)	**1,14,087**	**4,23,624**	**29,030**	**486**	**5,527**	-	**10,671**	**3874,41,294**	-	**93,401**	**98,293**
कुल (क+ख)	**33,31,230**	**91,25,827**	**8,48,177**	**14,172**	**1,61,422**	**1,18,031**	**3,10,759**	**4015,92,036**	**14,213**	**11,87,753**	**15,46,519**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-				-		-		-	649	649
– परियोजना व्यय	-	-		-	-		-	135,91,787	-	-	38,608
कुल	-	-			-		-	**135,91,787**	-	**649**	**39,257**
कुल (ग)	-	-		-	-		-	**135,91,787**		**649**	**39,257**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**33,31,230**	**91,25,827**	**8,48,177**	**14,172**	**1,61,422**	**1,18,031**	**3,10,759**	**3880,00,249**	**14,213**	**11,87,104**	**15,07,262**
निधियों का योग	**33,31,230**	**91,25,827**	**8,48,177**	**14,172**	**1,61,422**	**1,18,031**	**3,10,759**	**3880,00,249**	**14,213**	**11,87,104**	**15,07,262**
गत वर्ष	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**30,98,037**	**83,75,343**	**27,15,725**	**13,310**	**1,50,411**	**8,77,268**	**2,89,284**	**135,98,584**	**14,213**	**10,31,047**	**13,61,484**
ख) निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	1,19,106	3,26,975	1,04,142	491	5,599	94,798	10,804	5,52,158	-	63,954	87,391
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-		-		-	-
प्राप्त मंच किराया											
कुल (ख)	**1,19,106**	**3,26,975**	**1,04,142**	**491**	**5,599**	**94,798**	**10,804**	**5,52,158**	-	**63,954**	**87,391**
कुल (क+ख)	**32,17,143**	**87,02,318**	**28,19,867**	**13,801**	**1,56,010**	**9,72,066**	**3,00,088**	**141,50,742**	**14,213**	**10,95,001**	**14,48,875**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
– अन्य प्रशासनिक व्यय		115	720	-	115	649	-	-	-	649	649
– परियोजना व्यय	-	-	20,00,000	115		8,53,386	-				
कुल	-	**115**	**20,00,720**	**115**	**115**	**8,54,035**	-	-	-	**649**	**649**
कुल (ग)	-	**115**	**20,00,720**	**115**	**115**	**8,54,035**		-	-	**649**	**649**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**32,17,143**	**87,02,203**	**8,19,147**	**13,686**	**1,55,895**	**1,18,031**	**3,00,088**	**141,50,742**	**14,213**	**10,94,352**	**14,48,226**
निधियों का योग	**32,17,143**	**87,02,203**	**8,19,147**	**13,686**	**1,55,895**	**1,18,031**	**3,00,088**	**141,50,742**	**14,213**	**10,94,352**	**14,48,226**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची–3 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

	एन सी एफ – एन टी पी सी परियोजना	श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म की परियोजना	ओ एन जी सी – राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	रीच प्रतिष्ठान परियोजना	एम एस आर वी एम पुराना पुष्कर परियोजना	एस सी आई महाबलीपुरम् परियोजना	अहोम स्मारक परियोजना	इंडिया फोटो अभिलेख प्रतिष्ठान परियोजना	एन टी पी सी नागरिक सेवा मंडल परियोजना	पी सी एफ आर ई सी परियोजना	हुडको सुंदरवाला परियोजना
चालू वर्ष	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
क. निधि का प्रारंभिक शेष	**18,67,063**	**16,02,836**	**8,909**	**1,97,573**	**50,524**	**3,93,050**	**171,56,490**	**80,820**	**4,35,536**	**3,21,508**	**3,84,169**
ख. निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	1,13,869	72,913	-	2,95,527	-	29,224	31,02,849	1,689	-	-	39,772
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)		-	-					-	-		
प्राप्त मंच किराया											
कुल (ख)	**1,13,869**	**72,913**	-	**2,95,527**	-	**29,224**	**31,02,849**	**1,689**	-	-	**39,772**
कुल (क+ख)	**19,80,932**	**16,75,749**	**8,909**	**4,93,100**	**50,524**	**4,22,274**	**202,59,339**	**82,509**	**4,35,536**	**3,21,508**	**4,23,941**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
– अन्य प्रशासनिक व्यय	649	649	3,009	649	649	2,821	649	649	-	649	2,649
– परियोजना व्यय	2,834	7,180	-	-	-	-	1,000	-		-	
कुल	**3,483**	**7,829**	**3,009**	**649**	**649**	**2,821**	**1,649**	**649**	-	**649**	**2,649**
कुल (ग)	**3,483**	**7,829**	**3,009**	**649**	**649**	**2,821**	**1,649**	**649**	-	**649**	**2,649**
वर्ष के अंत : में निवल शेष (क+ख–ग)	**19,77,449**	**16,67,920**	**5,900**	**4,92,451**	**49,875**	**4,19,453**	**202,57,690**	**81,860**	**4,35,536**	**3,20,859**	**4,21,292**
निधियों का योग	**19,77,449**	**16,67,920**	**5,900**	**4,92,451**	**49,875**	**4,19,453**	**202,57,690**	**81,860**	**4,35,536**	**3,20,859**	**4,21,292**
गत वर्ष	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**17,40,836**	**15,06,704**	**10,148**	**25,871**	**51,173**	**3,72,497**	**176,14,605**	**80,023**	**4,35,536**	**3,22,157**	**3,26,792**
ख) निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	1,27,053	96,781	-	1,72,351	-	21,202	6,60,585	1,446	-		58,026
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)		-	-					-	-		
प्राप्त मंच किराया											
कुल (ख)	**1,27,053**	**96,781**	-	**1,72,351**	-	**21,202**	**6,60,585**	**1,446**	-	-	**58,026**
कुल (क+ख)	**18,67,889**	**16,03,485**	**10,148**	**1,98,222**	**51,173**	**3,93,699**	**182,75,190**	**81,469**	**4,35,536**	**3,22,157**	**3,84,818**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
– अन्य प्रशासनिक व्यय	826	649	1,239	649	649	649	649	649	-	649	649
– परियोजना व्यय	-	-	-	-		-	11,18,051				-
–ल	**°26**	**649**	**1,239**	**649**	**649**	**649**	**11,18,700**	**649**	-	**649**	**649**
कुल (ग)	**826**	**649**	**1,239**	**649**	**649**	**649**	**11,18,700**	**649**	-	**649**	**649**
वर्ष के अंत : में निवल शेष (क+ख–ग)	**18,67,063**	**16,02,836**	**8,909**	**1,97,573**	**50,524**	**3,93,050**	**171,56,490**	**80,820**	**4,35,536**	**3,21,508**	**3,84,169**
निधियों का योग	**18,67,063**	**16,02,836**	**8,909**	**1,97,573**	**50,524**	**3,93,050**	**171,56,490**	**80,820**	**4,35,536**	**3,21,508**	**3,84,169**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची–3 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

	एन सी एफ एन टी पी सी जंतर मंतर परियोजना	श्रीमती उत्तरादेवी न्यास परियोजना	एन सी एफ नवेली लिग्नाइट परियोजना	एन सी एफ मेल एस एस एस परियोजना	एन सी एफ ओस्मानिया विश्वविद्यालय परियोजना	एन सी एफ सोनी इंडिया लि. परियोजना	एन सी एफ – आई एफ सी एल परियोजना	एन बी सी सी इंडिया परियोजना	परियोजना योग	कुल
चालू वर्ष	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
क. निधि का प्रारंभिक शेष	54,748	1,84,720	19,16,891	33,92,852	11,47,998	116,00,229	640,79,254	312,98,179	-	2203,68,331
ख. निधि में परिवर्धन										
i. दान/अनुदान	-	-		-	-	-	146,09,072		41,74,841	3888,83,913
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	14,234	16,705	67,976	1,91,259	40,710	43,55,920	36,15,809	7,46,833	-	360,28,369
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-		-			-
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)								-		-
प्राप्त मंच किराया								-		-
कुल (ख)	14,234	16,705	67,976	1,91,259	40,710	43,55,920	182,24,881	7,46,833	41,74,841	4249,12,282
कुल (क+ख)	68,982	2,01,425	19,84,867	35,84,111	11,88,708	159,56,149	823,04,135	320,45,012	41,74,841	6452,80,613
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय										
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	649	-	-	-	-	-		1,654	20,960
– परियोजना व्यय	-	2,650		4,83,200		99,11,317	241,22,677	312,90,410	-	812,03,194
कुल	-	3,299	-	4,83,200	-	99,11,317	241,22,677	312,90,410	1,654	812,24,154
कुल (ग)	-	3,299	-	4,83,200	-	99,11,317	241,22,677	312,90,410	1,654	812,24,154
वर्ष के अंत में निबल शेष (क+ख–ग)	68,982	1,98,126	19,84,867	31,00,911	11,88,708	60,44,832	581,81,458	7,54,602	41,73,187	5640,56,459
										-
निधियों का योग	68,982	1,98,126	19,84,867	31,00,911	11,88,708	60,44,832	581,81,458	7,54,602	41,73,187	5640,56,459
गत वर्ष	34	35	36	37	38	39	40	41		
क) निधि का प्रारंभिक शेष	41,223	2,01,239	18,45,923	40,70,803	11,05,496	204,14,095	538,02,427	300,00,000	-	2375,74,974
ख) निधि में परिवर्धन										
i. दान/अनुदान		-		-	-	-	141,62,924	12,98,179		154,61,103
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	13,525	-	70,968	2,38,049	42,502	45,30,163	22,46,679			118,33,543.00
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-				-
टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)										-
प्राप्त मंच किराया										-
कुल (ख)	13,525	-	70,968	2,38,049	42,502	45,30,163	164,09,603	12,98,179		272,94,646.00
कुल (क+ख)	54,748	2,01,239	19,16,891	43,08,852	11,47,998	249,44,258	702,12,030	312,98,179		2648,69,620.00
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय										
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	649	-	-	-	-	-			11,634.00
– परियोजना व्यय	-	15,870		9,16,000		133,44,029	61,32,776			444,89,655.00
कुल	-	16,519	-	9,16,000	-	133,44,029	61,32,776			445,01,289.00
कुल (ग)	-	16,519	-	9,16,000	-	133,44,029	61,32,776			445,01,289.00
वर्ष के अंत में निबल शेष (क+ख–ग)	54,748	1,84,720	19,16,891	33,92,852	11,47,998	116,00,229	640,79,254	312,98,179		2203,68,331
										-
निधियों का योग	54,748	1,84,720	19,16,891	33,92,852	11,47,998	116,00,229	640,79,254	312,98,179		2203,68,331.00

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची –4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार	31.03.2019		31.03.2018	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) सावधि ऋण	-		-	
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-	-	-
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	-		-	
– प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-		-	
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-		-	
– प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर एवं बंध पत्र		-		-
7. अन्य (उल्लेख करें)		-		-
कुल		-		-

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची – 5 – असुरक्षित ऋण एवं उधार	31.03.2019	31.03.2018
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर एवं बंध पत्र	-	-
7. नियत जमाएं	-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची – 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) पूंजी के गिरवी द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	31.03.2019		31.03.2018	
अनुसूची–7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क. चालू देयताएं				
1. विविध ऋणदाता				
क) माल एवं सेवा के लिए		9,40,177		8,45,283
				-
2. प्राप्त अग्रिम राशियां	4,62,051	4,62,051	4,62,051	4,62,051
3. सांविधिक देयताएं				
क) अन्य : संदेय टीडीएस	2,44,962	2,44,962	17,506	17,506
4. अन्य चालू देयताएं : अग्रिम धन				
: परियोजना को वापसी योग्य राशि	13,30,330		13,30,330	
: संदेय व्यय	1,00,000		1,19,084	
: राष्ट्रीय संग्रहालय को संदेय	7,42,475		7,42,475	
: संस्कृति मंत्रालय को संदेय	(719)	21,72,086	(719)	21,91,170
कुल (क)		**38,19,276**		**35,16,010**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				-
कुल (ख)				-
कुल (क + ख)		**38,19,276**		**35,16,010**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण		सकल खंड				मूल्यह्रास				निवल खंड	
	मूल्यह्रास दर	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धनों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
1 एयर कंडीशनर	15%	57,500	-	-	57,500	56,778	108	-	56,886	614	722
2 वाल्टेज स्टैब्लाइजर	15%	4,800	-	-	4,800	4,740	9	-	4,749	51	60
3 रेफ्रिजरेटर	15%	7,063	37,060	-	44,123	6,945	5,577	-	12,522	31,601	118
4 फर्नीचर मदें	10%	30,39,564	1,01,008		31,40,572	11,77,965	1,86,160	-	13,64,125	17,76,447	18,61,599
5 फोटो कॉपियर	15%	6,89,612	-	-	6,89,612	5,63,112	18,975	-	5,82,087	1,07,525	1,26,500
6 फैक्स मशीन	15%	35,900	-	-	35,900	28,797	1,065	-	29,862	6,038	7,103
7 कम्प्यूटर हार्डवेयर	40%	8,96,554	2,77,880	-	11,74,434	8,94,860	1,22,610	-	10,17,470	1,56,964	1,694
8 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	24,390	23,340	-	47,730	24,381	9,339	-	33,720	14,010	9
9 कार्यालय उपकरणें	15%		17,300		17,300		7,645		7,645	9,655	
चालू वर्ष का योग		47,55,383	4,56,588	-	52,11,971	27,57,578	3,51,488	-	31,09,066	21,02,905	19,97,805
गत वर्ष		47,55,383	-	-	47,55,383	22,63,851	2,31,716	-	24,95,567	22,59,816	24,91,532

(उपर्युक्त में शामिल भाड़ा – खरीद आधार पर परिसम्पत्तियों की लागत के बारे में दी जाने वाली टिप्पणी)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण के नए लेखांकन फार्मेट की अपेक्षा का पालन करने के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के समूहीकरण में परिवर्तन किया गया है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 – उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश	31.03.2019	31.03.2018
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3 शेयर	-	-
4 डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-
5 सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6 अन्य (विशिष्ट परियोजनाएं एफडीआर)		
परियोजना ज्ञान प्रवाह – एफडीआर	-	-
परियोजना चौ. चरण सिंह जन्म शताब्दी – एफडीआर	-	-
परियोजना डी जी जैसलमेर – एफडीआर	-	-
कुल	-	-

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य	31.03.2019	31.03.2018
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3 शेयर	-	-
4 डिबेंचर एवं बॉण्ड		-
5 सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6 अन्य (उल्लेख किया जाए)	-	-
कुल	-	-

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि	31.03.2019		31.03.2018	
क. चालू परिसंपत्तियां				
1 **विविध ऋणदाता**				
क. छह मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण	3,91,369		3,91,369	
ख. अन्य	-	3,91,369	-	3,91,369
2 **हाथ रोकड़ शेष (चेक, ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित) – अनुबंध–1 संलग्न**	67	67	5,025	5,025
3 **बैंक में शेष राशि :**				
क. अनुसूचित बैंकों में :				
– सावधि जमा खाते में (मार्जिन राशि भी शामिल है) अनुबंध–1 संलग्न	5765,77,533		5961,35,274	
– बचत खाते में अनुबंध–1 संलग्न	4433,03,848	10198,81,381	653,60,520	6614,95,794
कुल (क) – विवरण संलग्न अनुबंध के अनुसार		**10202,72,817**		**6618,92,188**
ख. ऋण, अग्रिमधन और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
ग) अन्य			-	-
2. अग्रिम धन और अन्य रकमें जो नकदी में या वस्तु रूप में या प्राप्तव्य मूल्य पर वसूलनीय है।				
ख) पूर्व भुगतान			-	
ग) अन्य – महानिदेशक (ए एस आई)	1,24,140	1,24,140	-	-
3. प्रोद्भूत आय				
क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश पर	-		11,06,949	
ख) अन्य – निवेशों पर	157,72,524		119,91,058	
ग) अन्य	46,69,804	204,42,328	-	130,98,007
4. प्राप्य दावे/टी डी एस वसूली योग्य : एन सी एफ निवेशों पर	110,49,141		101,17,813	
परियोजनाओं पर	59,32,185	169,81,326	50,05,522	151,23,335
कुल (ख)		**375,47,794**		**282,21,342**
कुल (क + ख)		**10578,20,611**		**6901,13,530**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अंतिम शेष	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	(रुपये में)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	(रुपये में)
1 रोकड़ शेष				
एन सी एफ – अग्रदाय	67	67	5,025	5,025
विशिष्ट परियोजनाएं			-	
कुल 1		67		5,025
2 बैंक शेष				
अनुसूचित बैंकों के बैंक शेष				
क) चालू खातों पर			-	
ख) मार्जिन राशि सहित जमा लेखा में				
एन सी एफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	-		-	
पीएनबी बैंक, नई दिल्ली	1412,16,949			
आई डी एफ सी बैंक, नई दिल्ली	-		1981,23,902	
केनरा बैंक	2998,37,428		2237,44,077	
विशिष्ट परियोजनाएं				
सावधि जमा – परियोजनाएं	1355,23,156	5765,77,533	1742,67,295	5961,35,274
ग) बचत खाते में				
एन सी एफ मुख्यालय				
एन सी एफ, एल टी पी खाता सं. 1231	111,79,296		107,41,918	
आई डी एफ सी बैंक खाता सं. 7884	4,80,700		4,58,323	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59,85,025		57,80,052	
आई डी बी आई बैंक – खाता सं. 0055	39,68,659		38,14,217	
केनरा बैंक खाता सं. 627	36,64,467		45,77,445	
		252,78,147		253,71,955
विशिष्ट परियोजनाएं				
बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	1,37,577		1,32,865	
हुमायूं का मकबरा परियोजना	21,763		21,018	
जैसलमेर किला परियोजना – बैंक	1,623		1,80,731	
जंतर मंतर परियोजना	8,41,425		8,12,608	
ज्ञान प्रवाह परियोजना	6,841		6,471	
किष्किन्धा न्यास परियोजना	60,978		59,392	
रमण महर्षि परियोजना – भाग–1	1,144		1,115	
देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	9,498		9,230	
राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	6,19,174		11,64,560	
शनिवारवाडा परियोजना	21,55,313		20,19,104	
आलमबाजार मठ परियोजना	91,25,827		87,02,203	
गोल गुम्बज परियोजना	14,172		13,686	
हिडिम्बा मंदिर परियोजना, मनाली	8,48,177		8,19,147	
वजीरपुर का गुम्बज परियोजना	1,61,422		1,55,895	
इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान परियोजना	3880,00,249		141,50,742	
हम्पी प्रतिष्ठान परियोजना	3,10,759		3,00,088	
लोधी मकबरा परियोजना	36,11,087		34,87,415	
एन बी सी सी परियोजना – भारत एसबीआई बैंक	1,063		1,07,033	
हजारद्वारी मुर्शिदाबाद परियोजना	97,546		98,196	
भारतीय फोटो अभिलेख परियोजना	51,967		52,617	
नौरस न्यास परियोजना	48,560		49,209	
एन सी एफ परियोजना – एन टी पी सी	27,225		27,874	
श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म परियोजना	97,544		98,192	
ओ एन जी सी रीच प्रतिष्ठान परियोजना	18,669		19,317	
एम एस आर वी एम (पुराना) पुष्कर परियोजना	49,784		50,433	
ओ एन जी सी अहोम स्मारक परियोजना	17,512		19,160	
एस सी आइ महाबलीपुरम् परियोजना	70,403		71,051	
ओ एन जी सी राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	5,900		8,909	
लौरिया नंदनगढ़ बोकारो परियोजना	33,31,230		32,17,143	
नागरिक सेवा मंडल परियोजना	4,35,536		4,35,536	
उत्तरादेवी चैरिटेबल परियोजना	21,100		22,749	
एस टी सी जंतर मंतर परियोजना	18,255		17,630	
हुडको क्राफ्ट सुंदरवाला परियोजना	38,202		39,852	
भेल एस एस एस परियोजना	1,19,928		1,13,244	
एन सी एफ नवेली लिग्नाइट परियोजना	19,84,867		19,16,891	
आर ई सी परियोजना	23,825		25,474	
आई एफ सी एल परियोजना	1,46,319		1,74,961	
सोनी इंडिया लिमिटेड परियोजना	1,007		1,09,190	
जैसलमेर (नई) परियोजना	1,16,835		1,12,834	
ओस्मानिया विश्वविद्यालय परियोजना	11,88,708		11,47,998	
हुडको क्राफ्ट प्रशिक्षण परियोजना	8,328		6,952	
वोग परियोजना	41,73,187		-	
ज्ञान प्रवाह 2 परियोजना	5,172	4180,25,701	9,850	399,88,565
कुल 2		10198,81,381		6614,95,794
महायोग 1 + 2		10198,81,448		6615,00,819

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 12 – बिकी/सेवाओं से आय	31.03.2019	31.03.2018
1 **बिकी से आय**		
क. तैयार माल की बिकी	-	-
ख. कच्चा माल की बिकी	-	-
ग. स्कैप की बिकी	-	-
2 **सेवाओं से आय**		
क. श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख. व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवाएं	-	-
ग. एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ. अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी	31.03.2019	31.03.2018
(प्राप्त अटल अनुदान/सहायिकी)		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य : अनुदान	2,000	1,880
कुल	**2,000**	**1,880**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची–14 शुल्क/अंशदान			31.03.2019	31.03.2018
1. प्रवेश शुल्क			-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान			-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क			-	-
4. परामर्शी शुल्क			-	-
5. अन्य (उल्लेख करें)			-	-
कुल			-	-

	उद्दिष्ट से निवेश		निवेश अन्य	
अनुसूची–15 निवेशों से आय	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1 ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3 किराया	-	-	-	-
4 अन्य – परियोजनाओं से संबंधित नियत जमाएं	-	-	-	-
घटा : उद्दिष्ट/वृत्तदान निधि को हस्तांतरित		-		-
कुल उद्दिष्ट/वृत्तदान निधि को हस्तांतरित	-	-	-	-

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31.03.2019	31.03.2018
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	31.03.2019	31.03.2018
1. सावधि जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	3,17,93,970	2,28,64,740
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
ग) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	10,20,590	12,81,829
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) डाकघर बचत खातें पर	-	-
घ) अन्य		
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य		
4. ऋणियों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	3,28,14,560	2,41,46,569

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 18 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31.03.2019	31.03.2018
1. परिसम्पत्तियों की बिकी/निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना संपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2. उगाही की गई निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. प्रशासनिक संवाओं के लिए शुल्क	42,00,000	9,50,000
4. विविध आय	5600	1,931
कुल	**42,05,600**	**9,51,931**

अनुसूची 19 – तैयार मालों के भंडार और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)	31.03.2019	31.03.2018
क) अंतिम भंडार		
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य	-	-
ख) घटा : अंतिम भंडार	-	-
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य		
निबल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	-	-

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	31.03.2019	31.03.2018
क) वेतन एवं मजदूरी	3608176	23,24,822
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च	-	-
छ) अन्य : मानदेय	55000	5,000
कुल	**36,63,176**	**23,29,822**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय		31.03.2019	31.03.2018
क.	मरम्मत तथा अनुरक्षण, कम्प्यूटर अनुरक्षण	1,41,719	4,000
ख.	डाक खर्च, टेलीफोन, संचार	94,004	1,09,379
ग.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,29,947	47,453
घ.	यात्रा एवं परिवहन खर्चे	8,70,554	4,64,800
ङ	व्यावसायिक प्रभार	3,91,485	1,79,100
च.	कार्यालय खर्चे	2,93,999	63,254
छ.	सुरक्षा गार्ड खर्चे	89,476	2,15,346
ज.	विज्ञापन खर्चे	44,759	1,92,093
झ.	संविदात्मक स्टाफ	15,32,167	-
ञ.	लेखा परीक्षा शुल्क	3,25,455	-
ट.	बैठक खर्चे,	41,468	-
	कुल	**40,55,033**	**12,75,425**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सहायिकियों आदि व्यय	31.03.2019	31.03.2018
क. अखिल भारतीय इतिहास संकलन को दिया गया परियोजना अनुदान	40,00,000	
नालंदा एएसआई स्थल के लिए अस्टो लिंक को दिया गया परियोजना अनुदान	6,51,121	
ख. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	-	-
कुल	**46,51,121**	

अनुसूची 23 – ब्याज	31.03.2019	31.03.2018
क. बैंक प्रभार	349	975
ख. टी डी एस/आय कर पर शास्तियां	4,80,206	55,97,790
कुल	4,80,555	55,98,765

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 को समाप्त वर्ष का प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	31.03.2019	31.03.2018	भुगतान	31.03.2019	31.03.2018
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क) हाथ रोकड़	5,025	15	क) स्थापना व्यय	37,87,316	23,29,822
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	37,51,767	11,34,785
i) जमा खातों में	59,61,35,274	55,68,96,935			
ii) बचत खातों में	6,53,60,520	9,14,13,683	II. निधियों में से किए भुगतान		
			अनुदान संबंधी व्यय	46,51,121	-
IV. प्राप्त ब्याज			उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	8,12,24,154	4,45,01,289
क. बैंक जमा राशियों पर	2,36,12,248	3,77,40,590			
			IV. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अन्य आय (विशिष्ट उल्लेख करें)			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	4,56,588	-
दान/अनुदान	2,000	7,67,680			
			V. अधिशेष (सरप्लस) धन/ऋणों की वापसी		
VI. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			क) भारत सरकार को	-	-
क. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि					
निधियों में परिवर्धन	42,49,12,282	2,72,94,646	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	349	975
ख. प्राप्त विविध जमा	42,05,600	9,51,931			
			VIII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)	4,80,206	55,97,790
			कर भुगतान		
			भारत की निधि		
			जे पाल गुट्टी		
			निरलोन प्रतिष्ठान न्यास		
			लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम		
			क) हाथ रोकड़	67	5,025
			ख) बैंक शेष		
			i) जमा खातों में	57,65,77,533	59,61,35,274
			ii) बचत खातों में	44,33,03,848	6,53,60,520
कुल	1,11,42,32,949	71,50,65,480	कुल	1,11,42,32,949	71,50,65,480

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 015053एन)
विपुल कुमार (भागीदार)
एम. एन. : 094803
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.09.2019

कृते एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

अनुसूची 24 एवं 25

तुलन पत्र और आय व व्यय लेखाओं के अभिन्न भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां

क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपराओं एवं अन्य अनिवार्य लेखा मानदंडों के तहत् तैयार किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास पर समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान नियत संपत्ति में जोड़/से कटौती के संबंध में ह्रास को समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

3. लेखांकन पद्धति

न्यास अपने खातों को रोकड़ आधार पर रखता था, किन्तु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु अपेक्षाओं को अनुपालित करने के क्रम में न्यास ने वित्त वर्ष 2001–02 के बाद से लेखांकन पद्धति के रोकड़ आधार को बदलकर प्रोद्भवन आधार को अपना लिया है।

4. राजस्व मान्यता

क) न्यास लेखांकन के प्रोद्भवन प्रणाली का अनुपालन कर रहा है और सभी राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है, जैसे ही वह प्राप्ति के लिए देय हो जाता है तथा सभी व्ययों को तभी समाकलित किया जाता है जैसे ही वे भुगतान के लिए देय हो जाते हैं।

ख) विशिष्ट परियोजनाओं से आय अर्जन/हानि को संबंधित परियोजना पूर्ण होने के वर्ष में मान्यता दी जाएगी।

5. निवेश

न्यास के पास लेखाओं के समरूप फॉर्मेट में विहित प्रकृति का कोई निवेश नहीं है (अनुसूची 9 एवं अनुसूची 10)

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं को लेखा–बहियों में नहीं दिया गया है, किन्तु उन्हें लेखा–नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।

ग) लेखा टिप्पणी

1. अनुसूची 1 में दी गई कॉर्पस/पूंजीगत निधि में मुख्यतः दो भाग होते हैं यथा–प्राथमिक कॉर्पस एवं द्वितीयक कॉर्पस निधि। विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	प्राथमिक कॉर्पस निधि (राशि रूपये में)	द्वितीयव कॉर्पस निधि (राशि रूपये में)	कुल कॉर्पस निधि
प्रारंभिक शेष	19,50,00,100.00	27,32,26,494.06	46,82,26,994.06
जोड़ – वर्ष के दौरान आय एवं व्यय लेखा से अंतरित आधिक्य	शून्य	2,38,20,786.62	2,38,20,786.62
	19,50,00,100.00	**29,70,47,680.68**	**49,20,47,780.68**

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 'क' के तहत् छूट प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

3. दिनांक 28.11.1996 का भारत का राजपत्र अधिसूचना के पैरा 15 के अनुसार, एनसीएफ को तुरंत अपेक्षित नहीं निधि की राशि को अल्पकालिक आधार पर सावधि जमाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमाणपत्रों में जमा करना होता है। तदनुसार, इन सावधि जमाओं को न्यास द्वारा "बैंक शेषों–जमा खाते" के अंतर्गत अनुसूची 11 में दर्शाए गए हैं।

4. जहां पर आवश्यक हुआ है वहां पर पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25, 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और यथातिथि पर समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न हैं।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

(भागीदार)

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 सितम्बर, 2019

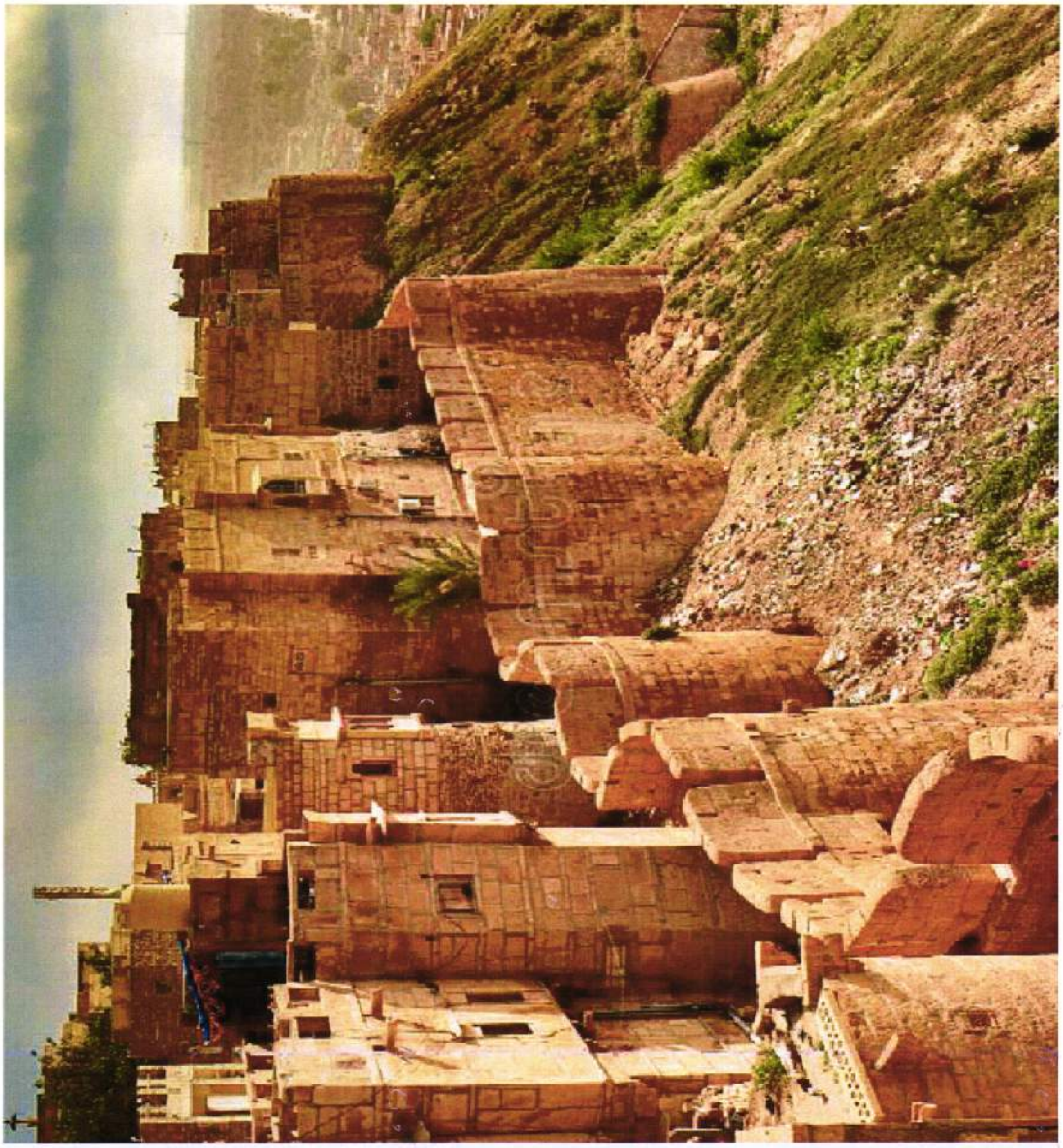

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
पुरातत्व भवन 5 वीं मंजिल,
डी ब्लॉक, आईए नई दिल्ली -110023
www.ncf.nic.in